उत्तर प्रदेश जल निगम

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

कार्य कलाप

2017

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226 001

उत्तर प्रदेश जल निगम

के

कार्य कलाप

2017

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226 001

प्रकाशक :
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226 001
दूरभाष : 2626497, फैक्स : 91–522–2622389
वेबसाइट ई–मेल : www.upjn.org
ई–मेल : mdupjn@yahoo.co.in

मुद्रक :
विद्या प्रिटिंग वर्क्स, 11, जंग अलीगंज अमीनाबाद रोड, लखनऊ
मो0 : 9307298123

उत्तर प्रदेश जल निगम
6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ–226001

दूरभाष : 0522–2231169
फैक्स : 91–522–2201178
दिनांक : 05 जुलाई, 2017

संदेश

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2016–17 में किये गये विभिन्न कार्यों एवं वर्ष 2017–18 की भावी योजना के संदर्भ में वार्षिक कार्य कलाप की पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है।

इस पुस्तिका में जल निगम के संगठनात्मक ढांचे तथा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों, उद्देश्य के साथ–साथ जल निगम द्वारा नागर जल सम्पूर्ति, नागर जलोत्सारण, नदी प्रदूषण नियंत्रण तथा ग्रामीण जल सम्पूर्ति आदि से संबंधित किये गये कार्य एवं भविष्य की योजनाओं का विवरण दिया गया है। जल निगम के स्वावलम्बन हेतु सीधे डिपाजिट के रूप में निर्माण एवं परिकल्प सेवाओं द्वारा सम्पादित कार्यों एवं भावी योजनाओं का विवरण भी दिया गया है।

मुझे आशा है कि यह पुस्तिका उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता जैसे जन महत्व के क्षेत्र में सम्पादित कार्यों एवं प्रयासों के संबंध में जानकारी प्रदान करने में सहायक होगी।

(जी पटनायक)
अध्यक्ष

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं0
1.	संगठन	1–8
2.	नागर जल सम्पूर्ति	9–11
3.	नागर जलोत्सारण	12–14
4.	राष्ट्रीय नदी / झील संरक्षण कार्यक्रम	15–24
5.	अमृत / जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन	25–43
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति	44–54
7.	निर्माण एवं परिकल्प सेवायें	55–64
8.	राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ	65–66

1

जल ही जीवन है

संगठन

संगठन

संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या – 43, 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूँ क्षेत्रों के लिए एक–एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु झाँसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत है। गढ़वाल तथा कुमायूँ जल संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित है। सम्प्रति पाँच बड़े नगरों हेतु गठित जल संस्थान का विलय सम्बन्धित नगर निगम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व आगरा में हो चुका है एवं इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यों का रख–रखाव किया जाता है। प्रदेश के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण/नदियों के प्रदूषण नियंत्रण के निर्माण कार्य जल निगम द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण करा कर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रख–रखाव हेतु सौंप दिया जाता है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का रख–रखाव बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संस्थानों द्वारा तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जल निगम द्वारा किया जाता है। सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का रख–रखाव वर्ष 2002 से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

जल निगम निदेशक मण्डल

अध्यक्ष के अतिरिक्त निगम के 11 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जल निगम के प्रबंध निदेशक जल सम्पूर्ति एवं सीवर व्यवस्था के विषय में अर्हता प्राप्त एवं इस विषय में पर्याप्त अनुभव तथा प्रशासकीय अनुभव वाले अभियंता होते हैं। वित्त निदेशक, जिन्हें वित्तीय तथा लेखा संबंधी विषयों का अनुभव होता है, को भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। जल निगम निदेशक मण्डल में वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य हैं :–

स्थाई सदस्य	पदेन सदस्य
1. अध्यक्ष	4. सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन
2. प्रबंध निदेशक	5. सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन
3. वित्त निदेशक	6. सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन
	7. सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन
	8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0
	9. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ0प्र0

उपरोक्त के अतिरिक्त स्थानीय निकायों के 3 नियमित प्रधान, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव को जल निगम की बैठकों में स्थाई आमंत्री के रूप में बुलाया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निगम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम–1975 के (अधिनियम सं.–43, सन्–1975) धारा –4 एवं 6 में निम्नवत् संशोधन किया गया है :–

''राज्य में सामाजिक एवं लोक जीवन में विशिष्ट ख्याति प्राप्त तीन से अनधिक गैर सरकारी व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में निर्दिष्ट किये जायेंगे''

वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष तैनात नहीं है।

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. जल सम्भरण के लिए तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज के निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना, उनको प्रोन्नत करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्य सरकार के निर्देश पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टैरिफ', 'कर' तथा 'जल सम्भरण' के परिव्यय का पुनर्वलोकन करना और उन पर सलाह देना।

5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करना तथा उसका उपयोग किए जाने का प्रबंध करना।

6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।

7. ऐसे सभी कृत्य करना जो यहां पर वर्णित नहीं हुए है और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे।

8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसमें धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है, जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनर्वलोकन करना।

9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं का वार्षिक मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।

10. जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।

11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के संबंध में अपेक्षित जन शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।

12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए व्यवहारिक गवेषणा कराना।

13. उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को करना।

14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाए। **निगम की समवाय ज्ञापिका (मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) उसके समवाय नियम (आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) तथा उनके अन्तर्गत निर्गत नियमावली, अनुदेश रेगुलेशन आदि यदि कोई हो।**

जल निगम की शक्ति

(1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम को ऐसे कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियॉ भी होंगी।

1. राज्य में समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना।

2. किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण में ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना जिसे वह आवश्यक समझें।

3. अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

4. जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना।

5. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना।

6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।

7. प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना।

8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग–अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना।

9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबंध करना।

10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था संबंधी योजना के लिए ऋण वितरण करना।

11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

जल निगम कार्यालयों का विवरण

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम में 40 मण्डल एवं 160 खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों का संचालन लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, फैजाबाद तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं एवं मुख्य अभियंता (वि0/यॉ0) द्वारा किया जाता है। मण्डलों/खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्षेत्र	मण्डल	खण्ड
लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, फैजाबाद तथा वाराणसी	30 (सिविल)	129 (सिविल)
	09 (वि0/यॉ)	29 (वि0/यॉ)
योग	**39**	**158**

उत्तर प्रदेश जल निगम में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या (30.04.2017 की स्थिति)

समूह	क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	2	3	4	5
क	1	प्रबंध निदेशक	1	1
	2	वित्त निदेशक	1	1
	3	मुख्य अभियंता (स्तर–1)	4	3
	4	मुख्य अभियंता (स्तर–2)	8	8
	5	मुख्य अभियंता (वि0/याँ0)	1	1
	6	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	43	41
	7	अधीक्षण अभियंता (वि0/याँ0)	8	7
	8	मुख्य लेखाधिकारी	1	0

समूह	क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	2	3	4	5
	9	मुख्य आंत. सं. अधि0	1	0
	10	विधि परामर्शदाता	1	0
	11	मैनेजर (ग्राउण्ड वाटर)	1	0
	12	वरिष्ठ हाइड्रोजियोलाजिस्ट	1	0
	13	वरिष्ठ जियोफिजिस्ट	1	1
	14	वित्त विश्लेषक	1	1
	15	प्रबंधक (ई0डी0पी0 सेल)	1	0
	16	अधिशासी अभियंता (सिविल)	167	140
	17	अधिशासी अभियंता (वि0 / याँ0)	32	16
	18	वरिष्ठ लेखाधिकारी	8	0
	19	सिस्टम एनालिस्ट	2	0
	20	शोध अधिकारी	2	0
		योग	**285**	**220**
ख	1	सहायक अभियंता (सिविल)	693	625
	2	सहायक अभियंता (वि0 / याँ0)	104	98
	3	सहायक शोध अधिकारी	6	5
	4	सहायक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट	3	3
	5	सहायक जियोफिजिस्ट	2	2
	6	लेखाधिकारी	12	3
		योग	**820**	**736**
तकनीकी ग	1	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	2146	2000
	2	जूनियर इंजीनियर (वि0 / याँ0)	371	323
	3	जूनि.इंजी0 (तकनीकी / सिविल)	21	0
	4	जूनि.इंजी0 (तकनीकी / (वि0 / याँ0)	19	1
	5	संगणक	114	91
	6	मानचित्रक	374	39

समूह	क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	2	3	4	5
	7	मुख्य मानचित्रक	53	44
	8	कन्सोल आपरेटर	2	1
		ग वर्ग तकनीकी योग	**3100**	**2499**
लेखा ग	1	सहायक लेखाधिकारी	4	0
	2	लेखाकार	269	63
		ग वर्ग लेखा योग	**273**	**63**
क्षेत्र ग	1	अनुभाग अधिकारी	4	**0**
	2	प्रधान सहायक (मण्डल)	42	**20**
	3	वरिष्ठ आले0प्राले0 (क्षेत्र)	0	0
	4	मुख्य लिपिक (खण्ड)	162	162
	5	वरिष्ठ आले0प्राले0(मण्डल)	69	24
	6	आलेखक प्रालेखक (मं0/खण्ड)	537	473
	7	नैत्यिक लिपिक (क्षेत्र)	883	601
	8	वाहन चालक	398	294
	9	स्टोर कीपर (क्षेत्र)	38	3
	10	आशुलिपिक (ग्रेड–4)	162	47
	11	आशुलिपिक (ग्रेड–3)	34	29
	12	निजी सचिव (क्षेत्र)	5	2
		ग वर्ग क्षेत्र योग	**2334**	**1655**
मुख्यालय ग	1	निजी सचिव (ग्रेड–1)	5	3
	2	निजी सचिव (ग्रेड–2)	16	9
	3	वैयक्तिक सहायक	0	0
	4	आशुलिपिक (ग्रेड–3)	58	12
	5	वैयक्तिक सहायक (अतकनीकी)	7	6
	6	अनुभाग अधिकारी	31	26
	7	वरिष्ठ आलेखक प्रालेखक	92	76

समूह	क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत
1	2	3	4	5
	8	कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक	77	28
	9	नैत्यिक लिपिक	101	57
	10	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0
	11	वरिष्ठ लैब सहायक	6	1
	12	टेलीफोन आपरेटर	3	0
		ग वर्ग मुख्यालय योग	**397**	**218**
		ग वर्ग का कुल योग	**6104**	**4435**
घ	1	चतुर्थ श्रेणी	1452	534
		योग क+ख+ग+घ	**8661**	**5925**
कार्य प्रभारित	1	1. नियमित कर्मचारी (फील्ड)	8437	8437
	2	2. कार्य प्रभारित	0	0
	3	3. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी	5	5
		योग कार्य प्रभारित	**8442**	**8442**

पानी है अनमोल रतन ।
सब मिल इसका करो जतन ।।

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 636 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.45 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 22 प्रतिशत है। उक्त 636 नगरों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की मार्च, 2017 की स्थिति (संख्या)	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	14	14
नगर पालिका परिषद	198	198
नगर पंचायत	424	419
योग	**636**	**631**

वर्तमान में 5 नगरीय क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है।

- इन 05 नगरों में से जनपद सिद्धार्थ नगर की न0 पं0 उस्का बाजार एवं डुमरियागंज में दिसम्बर, 2017 तक पेयजलापूर्ति किया जाना लक्षित है तथा जनपद जौनपुर की न0 पं0 बदलापुर में जून, 2018 तक पेयजलापूर्ति किया जाना लक्षित है।
- जनपद आजमगढ़ की न0 पं0 माहुल तथा जनपद बस्ती की न0 पं0 रूदौली बाजार हेतु पेयजल योजनाओं का विरचन किया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण एवं मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:

क्र. सं.	नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	मानक के अनुसार नगरों की संख्या	सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या
1.	10 लाख से अधिक	150	7	6
2.	1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरो में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	54	23
3.	20 हजार से 1 लाख तक	135*/70	276	25
4.	20 हजार से कम	135*/70	299	1
	योग		**636**	**55**

* जलोत्सारण योजना हेतु

नागर जलसम्पूर्ति सेक्टर के मुख्य कार्यक्रम

1. राज्य सेक्टर

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2015–16 में 69 निर्माणाधीन योजनाओं के विरूद्ध रू0 26223.390 लाख की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। जिनमें से 8 योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये। वर्ष 2016–17 में 70 निर्माणाधीन योजनाओं के विरूद्ध रू0 27758.73 लाख की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं। जिनमें से 05 योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये जा चुके है। 61 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है तथा 4 योजनाओं के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित करने/कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

2. त्वरित आर्थिक विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत मा0 सांसदों/विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग पर मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार के कार्यो की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 05 योजनाओं हेतु वर्ष 2015–16 में रू0 1411.33 लाख की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई तथा 01 योजना पूर्ण की गई। वर्ष 2016–17 में 07 योजनाओं हेतु रू0 3117.48 लाख की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं, जिनके कार्य प्रगति पर है।

3. जिला योजना

जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकतानुसार नगरीय क्षेत्रों में रिबोर/नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य, पाइप लाइन विस्तार एवं नलकूपों के रिबोर के कार्य जिलाधिकारी की स्वीकृति से कराये जाते हैं। वर्ष 2015–16 में रू0 8000.00 लाख की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष 03 नग नये नलकूप, 24 नग नलकूप रिबोर, 4946 नग नये हैण्डपम्प, 4166 नग हैण्डपम्प रिबोर एवं 8.5 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य कराये गये। वर्ष 2016–17 में रू0 10000.00 लाख की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष 01 नग नया नलकूप, 24 नग नलकूप रिबोर, 4282 नग नये हैण्डपम्प, 4059 नग हैण्डपम्प रिबोर एवं 12.80 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य कराये गये।

वर्ष 2015–16 में अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04. 2015)	वर्ष 2015–16 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2015–16 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.04. 2016)
1	2	3	4	5	6	7
	नगरीय पेयजल कार्यक्रम					
1	राज्य सेक्टर	16991.86	26223.39	43215.25	22032.10	21183.15
2	त्वरित आर्थिक विकास योजना	4165.77	1411.33	5577.10	5367.62	209.48
3	जिला योजना (सामान्य/एस.सी.पी.)	3713.61	8000.00	11713.61	7958.69	3754.92
	योग	**24871.24**	**35634.72**	**60505.96**	**35358.41**	**25147.55**

वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04. 2016)	वर्ष में 2016–17 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2016–17 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.04. 2017)
1	2	3	4	5	6	7
	नगरीय पेयजल कार्यक्रम					
1	राज्य सेक्टर	21183.15	27758.73	48941.88	23808.71	25133.17
2	त्वरित आर्थिक विकास योजना	209.48	3117.48	3326.96	2632.47	694.49
3	जिला योजना (सामान्य/एस.सी.पी.)	3754.92	10000.00	13754.92	5531.31	8223.61
	योग	**25147.55**	**40876.21**	**66023.76**	**31972.49**	**34051.27**

3

प्रयोग स्वच्छ नीर का
आधार स्वस्थ शरीर का

नागर जलोत्सारण

नागर जलोत्सारण

प्रदेश में कुल 636 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :–

निकाय	कुल नगर	नगर, जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर, जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	14	13	1
नगर पालिका परिषद	198	38	160
नगर पंचायत	424	4	420
योग	**636**	**55**	**581**

उपरोक्त सभी 55 नगरों में आंशिक रुप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है। तथा पूर्ण रूप से सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है।

नागर जलोत्सारण के मुख्य कार्यक्रम

1. राज्य सेक्टर

वर्ष 2015–16 में रू0 10288.81 लाख की स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2015–16 में 26 निर्माणाधीन योजनाओं में से 02 योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये। वर्ष 2016–17 में रू0 9736.18 लाख की स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं, जिसके सापेक्ष 31 योजनाओं के विरूद्ध 04 योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये। 20 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा 07 योजनाओं के कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित करने/कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

2. त्वरित आर्थिक विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत मा0 सांसदों/विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग पर मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार के कार्यो की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा में शमशाबाद सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है, जिस पर वर्ष 2015–16 में रू0 3000.00 लाख एवं वर्ष 2016–17 में में रू0 4289.08 लाख की अवमुक्त धनराशि सहित कुल अवमुक्त धनराशि रू0 9289.08 लाख के सापेक्ष रू0 7380.00 लाख व्यय किया गया एवं 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

13वॉ वित्त आयोग :–

13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में वाराणसी के सिस वरूणा क्षेत्र में सीवर लाईन बिछाने हेतु रू0 5187.60 लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 1500.00 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई है। उक्त अवमुक्त धनराशि के विरूद्ध योजना में प्रस्तावित कुल 13623 मीटर सीवर लाईन के सापेक्ष 3895 मीटर सीवर लाइन बिछायी जा चुकी है। वर्ष 2014–15 से वर्तमान तक कोई धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त न किये जाने के कारण योजना में अब तक कराये गये कार्यों को जनोपयोगी नहीं किया जा सका है। इसे जनोपयोगी बनाने हेतु रू0 1004.86 लाख की योजना भारत सरकार की अमृत कार्यक्रम में लिया गया जिस पर दिनांक 05.10.2016 को राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति में स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तथा धनावंटन के पश्चात कराये गये कार्य जनोपयोगी हो जायेंगे।

जल निकासी कार्यक्रम

1. राज्य सेक्टर

वर्ष 2015–16 में रू0 3106.40 लाख की स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। वर्ष 2015–16 में 12 निर्माणाधीन योजनाओं में से 03 योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये। वर्ष 2016–17 में रू0 881.70 लाख की स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं तथा 15 निर्माणाधीन योजनाओं में से 02 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। 12 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं तथा 01 योजना के कार्यो हेतु निविदा आमंत्रित करने/कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जा रही है।

2. त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत मा0 सांसदों/विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग पर मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार के कार्यो की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जल निकासी हेतु जनपद मैनपुरी में नाला निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 में 02 योजनाओं के विरूद्ध रू0 1324.07 लाख की स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं तथा कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2015–16 में अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04. 2015)	वर्ष 2015–16 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2015–16 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.04. 2016)
1	2	3	4	5	6	7
क.	**नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम**					
1	राज्य सेक्टर	11675.17	10288.81	21863.78	10218.87	11644.91
2	त्वरित आर्थिक विकास योजना	1300.00	3000.00	4300.00	3233.00	1067.00
3	13वॉ वित्त आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**12975.17**	**13288.81**	**26163.78**	**13451.87**	**12711.91**
ख	**नगरीय जलनिकासी कार्यक्रम**					
1	राज्य सेक्टर	2700.72	3106.40	5807.12	2690.56	3116.56
2	त्वरित आर्थिक विकास योजना	133.13	705.24	838.37	117.20	721.17
	योग	**2833.85**	**3811.64**	**6645.49**	**2807.76**	**3837.73**

वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि एवं व्यय का विवरण

धनराशि रू0 लाख में

क्र0 सं0	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04. 2016)	वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2016–17 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.04. 2017)
1	2	3	4	5	6	7
क.	**नगरीय जलोत्सारण कार्यक्रम**					
1	राज्य सेक्टर	11644.91	9736.18	21381.09	13511.73	7869.36
2	त्वरित आर्थिक विकास योजना	1067.00	4289.08	5356.08	3458.00	1898.08
3	13वॉ वित्त आयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**12711.91**	**14025.26**	**26737.17**	**16969.73**	**9767.44**
ख	**नगरीय जलनिकासी कार्यक्रम**					
1	राज्य सेक्टर	3116.56	881.70	3998.26	2934.94	1063.32
2	त्वरित आर्थिक विकास योजना	721.17	1324.07	2045.24	1894.06	151.18
	योग	**3837.73**	**2205.77**	**6043.50**	**4829.00**	**1214.50**

4

हमारा लक्ष्य
अविरल गंगा निर्मल गंगा।

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय नदी / झील संरक्षण कार्यक्रम

देश की प्रमुख नदियाँ म्यूनिस्पिल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी 1985 में माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में, 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थायें हैं।

गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण)

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगर क्रमशः हरिद्वार–ऋषिकेश (अब उत्तरांचल राज्य में), फर्रूखाबाद–फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया।

गंगा कार्य योजना प्रथम चरण में रू0 184.84 करोड़ की कुल 106 परियोजनाओं में से जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 परियोजनायें रू. 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गयीं, जिसमें प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल. डी. सीवेज में से 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 13 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों (प्रथम चरण के 5 नगरों को सम्मिलित करते हुए) में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 मे गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये । गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में तीन घटक क्रमशः गंगा कार्य योजना घटक, यमुना कार्य योजना घटक तथा गोमती कार्य योजना घटक हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिये कुल 216 परियोजनायें स्वीकृत की गईं। स्वीकृत परियोजनाओं में से बिजनौर शहर की 3 परियोजनायें व वाराणसी नगर की एक परियोजना ड्राप की गई एवं शेष 212 में से 207 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में निम्न 5 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर है :

(रू0 लाख में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	भौतिक प्रगति 03/2017 तक
1	गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण)	41333.83	95%
2	नैनी ब्रिज पर राइजिंग मेन, इलाहाबाद	2586.00	71%
3	अस्सी बी.एच.यू. साउथ डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी	1035.86	98%
4	राखीमण्डी से बकर मंडी तक सीवर लाइन	589.92	99%
5	मुख्य पम्पिंग स्टेशन, कानपुर	1858.40	95%

गंगा घटक के अन्तर्गत 35.56 एम.एल.डी. क्षमता के 4 नग, यमुना कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत 402.79 एम.एल.डी. क्षमता के 16 नग, द्वितीय चरण में 54 एम. एल. डी. क्षमता के 2 नग एवं गोमती कार्य योजना प्रथम चरण में 47 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग एवम् द्वितीय चरण में 345 एम.एल.डी. क्षमता का 1 सीवज शोधन संयंत्र निर्मित कर चालू किया जा चुका है। इस प्रकार गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तीनों घटकों में 884.35 एम.एल.डी. क्षमता के 25 नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्मित किये गये हैं।

इस प्रकार गंगा कार्य योजना में 34 नग सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कर कुल 1233.85 एम.एल.डी. शोधन क्षमता विकसित की गई।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)

भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्य योजनाओं के उद्देश्यों में सुधार करते हुए इनके क्रिन्यान्वयन की रणनीति में सुधार कर गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया तथा भारत सरकार की अधिसूचना, दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए, इनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एक्ट–1986 के अन्तर्गत किया गया है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन. जी.आर.बी.ए.) के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक घरेलू अवजल को गंगा में गिरने से रोकने हेतु राज्य स्तर पर उ0 प्र0 राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 900 कि0मी0 दूरी तय करती है। फतेहगढ़ के निकट रामगंगा नदी एवं कन्नौज के निकट काली नदी के मिलने पर गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार गंगा नदी के किनारे बसे मुख्य नगरों यथा कानपुर, इलाहाबाद व वाराणसी के घरेलू सीवेज के कारण भी कन्नौज से वाराणसी तक का क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से क्रिटिकल हो गया है। प्रथमतः गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 3 एवं रामगंगा नदी के किनारे 2 नगरों को चिन्हित किया गया है। यमुना नदी पर स्थित 10 नगरों व गोमती नदी पर स्थित 3 नगरों को प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद नगर की 7 योजनायें, वाराणसी नगर की 3 योजनायें, कानपुर नगर की 2 योजनायें तथा कन्नौज, बिठूर, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर एवं नरौरा एवं वृन्दावन नगर की एक–एक परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 19 परियोजनायें जिनकी लागत रू0 2927.81 करोड़ है, स्वीकृत हुयी हैं जिसमें भारत सरकार का अंश रू0 2325.54 करोड़ तथा राज्य सरकार का अंश रू0 602.27 करोड़ है। एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत 105.00 एम.एल.डी. क्षमता के 4 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जा चुके है एवं 285.90 एम. एल. डी. क्षमता के 12 सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं कुल अवमुक्त धनराशि रू0 1148.39 करोड़ के सापेक्ष रू0 1142.76 करोड व्यय हो चुका है। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट संलग्न है **(संलग्नक–1)**

नमामि गंगे कार्यक्रम

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एन.जी.आर.बी.ए. द्वारा संचालित ''नमामि गंगे'' कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों तथा गंगा की सहायक नदियों रामगंगा एवं काली नदी के किनारे स्थित मुख्य नगरों को सम्मिलित किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम में नदी में मिलने वाले नालों के डायवर्जन एवं शोधन संयंत्र के निर्माण, पुराने एस.टी.पी. एवं एस.पी.एस. के अपग्रेडेशन एवं पुनरोद्धार का कार्य सम्मिलित किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत एस.जी.आर.सी.ए. लखनऊ के माध्यम से अनुमोदन हेतु प्रेषित योजनाओं में से निम्न वर्णित चार योजनाओं (कुल निर्माणाधीन 19 योजनाओं में सम्मिलित) की स्वीकृति प्राप्त हुयी है :–

(रू0 करोड़ में)

1.	इन्टरसेप्टर सीवर/ब्रांच सीवर इन डिस्ट्रिक्ट–ई, इलाहाबाद (अति. कार्य)	52.78	कार्य प्रारम्भ
2.	50 एम.एल.डी. एसटीपी रमना वाराणसी	151.00	निविदा प्रक्रिया प्रगति में।
3.	आई. एण्ड डी आंफ सीसामऊ एवं अन्य 5 नाले कानपुर	63.80	कार्यदेश निर्गत
4.	एस.टी.पी. एवं एस.पी.एस. का अपग्रेडेशन एवं जीर्णोद्वार की योजना वृन्दावन	33.82	निविदा प्रक्रिया प्रगति में।

उपरोक्त के अतिरिक्त मथुरा नगर में स्थित पुराने एस.टी.पी. एवं एस.पी.एस. का अपग्रेडेशन एवं जीणोद्धार की योजना का क्रियान्वयन पीपीपी मोड पर **ई.आई.एल.** द्वारा कराया जाना है।

उक्त के अतिरिक्त विभिन्न नगरों की 31 परियोजनायें कुल अनुमानित लागत रू0 7255.65 करोड़ एवं 3 पी.एफ.आर. कुल अनुमानित लागत रू0 2698.51 करोड़ कुल लागत रू. 9954.16 करोड भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी स्वीकृति भारत सरकार से अपेक्षित है। **(संलग्नक–2)**

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश में निम्नलिखित झीलों/तालों की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं :–

1. रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर)
2. मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर, जनपद–मथुरा)

3. लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) 4. मदनसागर ताल (महोबा नगर)

उपर्युक्त चार तालों में गोवर्धन नगर (जनपद– मथुरा) के मानसी गंगा ताल के प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 22.71 करोड की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च, 2007 में प्रदत्त के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) के प्रदूषण नियंत्रण एवम् जीर्णोद्धार की योजना (लागत रू0 124.32 करोड़) पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है, जिसका पुनरीक्षित प्राक्कलन (लागत रु. 196.57 करोड) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजना के अन्तर्गत 30 एम.एल.डी. एवम् 15 एम.एल.डी. क्षमता के कुल 2 नग सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये गये हैं। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 88.64 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रू0 173.96 करोड़ के सापेक्ष रू0 164.30 करोड़ व्यय हो चुका है।

लक्ष्मी ताल (झांसी) के प्रदूषण नियंत्रण एवम् जीर्णोद्धार की योजना (लागत रू0 54.13 करोड़) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। योजना के अन्तर्गत 26 एम.एल. डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट प्रस्तावित है। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 8.00 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रू0 5.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 5.00 करोड़ व्यय हो चुका है।

औधोगिक उत्प्रवाह के शोधन से सम्बन्धित योजना

घरेलू सीवेज के शोधन कार्यों के अतिरिक्त एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत मात्र कानपुर नगर में ही टेनरी वेस्ट के शोधन हेतु योजना के कार्य जल निगम द्वारा कराये जाने प्रस्तावित है। कानपुर नगर में टेनरी वेस्ट के शोधन हेतु योजना के लिये भारत सरकार की विशेषज्ञ संस्था '' सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई'' द्वारा स्टडी की गयी है एवं 50 एम.एल.डी. क्षमता के शोधन संयंत्र लगाने की सलाह दी है, जिसके लिए ''सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई'' द्वारा प्राक्कलन विरचित किया जाना था। शार्ट टर्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित 50 एम0एल0डी0 क्षमता के एक अंश में 25 एम0एल0डी0 क्षमता की प्री–ट्रीटमेन्ट यूनिट की डी0पी0आर0, अनुमानित लागत रू. 299.55 करोड़ दिनांक 30.6.2015 को प्रस्तुत की गयी है, जो एन0एम0सी0जी0, भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित है। उक्त के अतिरिक्त '' सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैन्नई'' द्वारा पार्ट–2 की जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित योजना, अनुमानित लागत रू0 4778.68 करोड़ (कार्य लागत रू. 2168.64 करोड़ व 5 वर्षो के संचालन एवं रखरखाव की लागत रू. 2610.00 करोड़) विरचित कर प्रस्तुत की गई है। उक्त डी.पी.आर. का प्रस्तुतीकरण सीएलआरआई,

चेन्नई द्वारा दिनांक 18.08.2015 को मुख्य सचिव महोदय के समक्ष किया गया। डी.पी.आर. की अधिक लागत, उपलब्धता से अधिक भूमि की आवश्यकता तथा अत्यधिक रखरखाव लागत के दृष्टिगत सीएलआरआई से कास्ट इफेक्टिव सस्टेनेबुल प्रप्रोसल उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 06.04.2016 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयानुसार ''सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैन्नई'' द्वारा डायल्यूशन तकनीक पर आधारित योजना अनुमानित लागत रू0 1275.07 करोड (कार्य लागत रू0 481.92 करोड व 10 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव की लागत रू0 793.15 करोड़) विरचित कर प्रस्तुत की गई जिसे राज्य गंगा नदी संरक्षण अभिकरण के द्वारा एन.एम.सी.जी., भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

वाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना :

आगरा जल सम्पूर्ति योजना गंगाजल (वाह्य सहायतित–जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 कि0मी0 पाईप लाइन द्वारा आगरा शहर को 140 क्यूसेक एवं मथुरा शहर को 10 क्यूसेक, कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है। योजना की कुल लागत रू0 1076.98 करोड़ है, जो मार्च, 2007 में स्वीकृत हुई है। योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन, अनुमानित लागत रू0 2888.88 करोड़ को प्रदेश की व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 2887.92 करोड़ के लिए अनुमोदन किया गया था, जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रोजेक्ट के वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष ऋण वृद्धि पर भारत सरकार व जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च, 2014 में निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 85 प्रतिशत जायका से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से सिकन्दरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, इन्टेक वर्क्स, सेटलिंग टैंक, आगरा एवं मथुरा शहरों हेतु फीडर मेंन तथा वर्तमान वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित हैं। वर्तमान में पलरा सैटलिंग टैंक तथा सिकंदरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेन्ट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है कुल अवमुक्त धनराशि रू0 1853.57 करोड़ के सापेक्ष रू0 1840.41 करोड़ व्यय हो चुका है।

एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनायें

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता (एमएलडी)	अन्य प्रस्तावित कार्य	भौतिक प्रगति (%)
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद					
1	सीवरेज एंड नॉन सीवरेज वर्क्स, इलाहाबाद	305.34	नैनी 20 नुमायाडाही 50 कोडरा 25 पोंघट 10	1. सीवर लाइन– 14.2 किमी. 2. पुरानी सीवर का जीर्णोद्धार 5.72 किमी. 3. सीवेज पम्पिंग स्टेशन–3 नग 4. पुराने एसपीएस. का जीर्णोद्धार 4 नग	100%
2	इन्टरसेप्टर सीवर/ब्रांच सीवन इन डिस्ट्रिक्ट–ई इलाहाबाद	142.00		1. सीवर लाइन–109 किमी. 2. सीवेज पम्पिंग स्टेशन –1 नग	100%
3	14 एम.एल.डी. सलोरी एस.टी.पी. (डिस्ट्रिक्ट–सी) का निर्माण, इलाहाबाद	42.40	सलोरी 14		100%
4	सीवर का कार्य– डिस्ट्रिक्ट–सी, इलाहाबाद	146.87		1. सीवर लाइन–135 किमी. 2. सीवेज पम्पिंग स्टेशन अपग्रेडेशन – 1 नग	70%
5	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–ए, इलाहाबाद	288.95		1. सीवर लाइन–240.6 किमी. 2. सीवर लाइन (ट्रेंचलेस)–1.75 कि.मी. 3. सीवेज पम्पिंग स्टेशन – 3 नग	51%
6	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–बी, इलाहाबाद	265.86			30%
7	इन्टरसेप्टर सीवर/ब्रांच सीवर इन डिस्ट्रिक्ट–ई इलाहाबाद (अति.कार्य)	52.78		1. सीवर लाइन–42.658 किमी. 2. सीवर लाइन (ट्रेंचलेस)–0.73 कि.मी. 3. मेलहोल – 1551 नग 4. हाउस कनेक्टिंग चैम्बर–1760 नग	कार्य प्रारम्भ
वाराणसी					
1	जायका सहायतित गंगा कार्य योजना फेज–II, वाराणसी	496.90	सथवा 140	1. सीवर लाइन– 18 किमी. 2. राइजिंग मेंन – 10.95 किमी. 3. सीवेज पम्पिंग स्टेशन का पुनर्रोद्धार–8 नग	66%
2	अस्सी घाट व तुलसी घाट का सौन्दर्यीकरण	27.28		अस्सी घाट व तुलसी घाट का सौन्दर्यीकरण (रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट)	12%
3	50 एम.एल.डी. एसटीपी रमना वाराणसी	151.00	रमना 50		निविदा प्रक्रिया प्रगति में।
गढ़मुक्तेश्वर					
1	एस.टी.पी. एवं सीवरेज कार्य की योजना,गढमुक्तेश्वर	46.51	गढ़ जोन 6 ब्रजघाटन जोन 3	1. सीवर लाइन – 69 किमी.	87%

एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनायें

(रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	सीवेज शोधन संयंत्र की क्षमता (एमएलडी)	अन्य प्रस्तावित कार्य	भौतिक प्रगति (%)
1	2	3	4	5	6
बिठूर					
1	सीवरेज योजना बिठूर	59.67	बिठूर 2.4	1. सीवर लाइन– 32 किमी. 2. राइजिंग मेंन – 3.25 किमी. 3. सीवेज पम्पिंग स्टेशन – 2 नग	संशोधित डी.पी.आर.,एन.एम.सी.जी. को प्रेषित।
कन्नौज					
1	एस.टी.पी. एवं सीवरेज कार्य की योजना, कन्नौज	43.66	तिरवा रोड 1	1. सीवर लाइन–62 किमी. 2. राइजिंग मेंन – 1.1 किमी. 3. सीवेज पम्पिंग स्टेशन – 1 नग	72%
2	सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–1 कानपुर	370.40		1. सीवर लाइन–101.882 किमी. 2. सीवर लाइन (ट्रेंचलेस)–3.76 किमी. 3. सीवर नेटवर्क पुनरोद्धार–299.656 किमी. 4. सीवर क्लीनिंग–290.253 किमी. 5. मेनहोल जीर्णोद्धार–11152 नग 6. हाउस सर्विस चैम्बर – 14149 नग 7. एस.पी.एस. – 4 नग	निविदा प्रक्रिया प्रगति में।
3	आई एण्ड डी ऑफ सीसामऊ एवं अन्य 5 नाले कानपुर	63.80		1. नाला टैपिंग – 4 नग 2. नाला टैपिंग जीर्णोद्धार – 3 नग 3. सीवर लाइन – 1.63 किमी. 4. सीवर क्लीनिंग – 4.2 किमी. 5. एस.पी.एस. – 3 नग 6. राइजिंग मेन – 3.36 किमी.	कार्यादेश निर्गत
मुरादाबाद					
1	रामगंगा नदी के प्रदूषण नियंत्रण की योजना, मुरादाबाद	279.91	रामगंगा ब्रिज 58	1. सीवर लाइन– 264 किमी. 2. राइजिंग मेंन – 6.5 किमी. 3. सीवेज पम्पिंग स्टेशन – 11 नग	85%
अनूपशहर					
1	एस.टी.पी. का अपग्रेडेशन एवं सीवरेज कार्य की योजना, अनूपशहर	75.79	जोन–ए 1.5 जोन –बी 1.0	1. सीवर लाइन – 58.87 किमी. 2. सीवेज पम्पिंग स्टेशन – 2 नग	42%
नरौरा					
1	एस.टी.पी. एवं सीवरेज कार्य की योजना, नरौरा	34.87	नरौरा 4.0	1. सीवर लाइन – 21.033 किमी. 2. सीवेज पम्पिंग स्टेशन – 3 नग	81%
वृन्दावन					
1	एस.टी.पी. एवं एस.पी.एस. का अपग्रेडेशन एवं जीर्णोद्धार की योजना वृन्दावन	33.82		1. नाला टैपिंग – 1 नग 2. एस.पी.एस. जीर्णोद्धार – 4 नग 3. एस.टी.पी. अपग्रेडेशन–4 एम.एल.डी. 4. राइजिंग मेन 400 एम.एम.–2300 मीटर 5. एस.टी.पी. – 5 एम.एल.डी.	निविदा प्रक्रिया प्रगति में।
योग		**2927.81**	**16 नग 390.90**		

(संलग्नक–2)

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित योजनायें।

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड़)	टिप्पणी
1.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, झूँसी क्षेत्र, इलाहाबाद	237.60	561 दिनांक 16/07/2015 346 दिनांक 29-04-2017
2.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, फाफामऊ क्षेत्र, इलाहाबाद	182.44	560 दिनांक 16/07/2015 346 दिनांक 29-04-2017
3.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, नैनी क्षेत्र, इलाहाबाद	408.39	722 दिनांक 08/09/2015 346 दिनांक 29-04-2017
4.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, कन्नौज	74.15	595 दिनांक 27-07-2016
5.	जाजमऊ स्थित 130 व 5 एम.एल.डी. के अपग्रेडेशन की योजना, कानपुर	384.66	915 दिनांक 03/11/2015 681 दिनांक 01/09/2016
6.	25 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. जाजमऊ, कानपुर	1275.07	571 दिनांक 22/07/2016
7.	काली नदी स्थित प्रीवेन्शन ऑफ पोल्यूशन व आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, बुलन्दशहर	313.10	490 दिनांक 25/06/2015
8.	काली नदी स्थित प्रीवेन्शन ऑफ पोल्यूशन व आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, मेरठ	748.07	500 दिनांक 29/06/2015 109 दिनांक 12-02-2016
9.	गोमती नदी के प्रदूषण नियंत्रण की योजना, लखनऊ	214.38	437 दिनांक 09/06/2015 344 दिनांक 02-09-2016
10.	एस.टी.पी. के अपग्रेडेशन की योजना, अनूपशहर	17.79	500 दिनांक 29/06/2015
11.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, रामनगर	95.13	606 दिनांक 27/07/2015
12.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, चुनार	53.66	606 दिनांक 27/07/2015
13.	अपग्रेडेशन व जीर्णोद्धार की योजना, मिर्जापुर	38.11	606 दिनांक 27/07/2015
14.	सीवरेज वर्क्स इन जाजमऊ एरिया, कानपुर	91.91	473 दिनांक 19/06/2015
15.	दीनापुर व भगवानपुर की एस.टी.पी. का अपग्रेडेशन, वाराणसी	131.89	1679 दिनांक 17/11/2014
16.	आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, हस्तिनापुर	89.15	579 दिनांक 23/07/2015
17.	आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, उन्नाव	102.43	552 दिनांक 14/07/2015
18.	सी.ई.टी.पी. जाजमऊ हेतु 25 एम.एल.डी. प्राइमरी ट्रीटमेन्ट यूनिट की योजना, कानपुर	299.55	565 दिनांक 20/07/2015
19.	आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, नगीना	214.08	103 दिनांक 10/02/2016
20.	आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, नजीबाबाद	160.98	103 दिनांक 10/02/2016
21.	आई. एंड डी. एवं अन्य कार्य की योजना, बिजनौर	64.39	103 दिनांक 10/02/2016
22.	आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, धामपुर	101.53	101 दिनांक 09/02/2016

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित योजनायें।

क्र0 सं0	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. करोड़)	टिप्पणी
23	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, जोन–II मुरादाबाद	206.49	101 दिनांक 09/02/2016
24.	आई.एंड डी. एवं 80 एम.एल.डी. नैनी एस.टी.पी. के अपग्रेडेशन की योजना, इलाहाबाद	242.30	104 दिनांक 10/02/2016
25.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, शुक्लागंज	78.84	116 दिनांक 16/02/2016
26.	सीवरेज नेटवर्क की योजना–डिस्ट्रिक्ट–एफ, फाफामऊ एरिया, इलाहाबाद	103.64	380 दिनांक 10-05-2016
27.	210 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का अपेग्रेडेशन, कानपुर	133.79	730 दिनांक 22/09/2016
28.	सेकैण्डरी सीवर एवं पुरानी सीवर लाइन के जीर्णोद्धार/ बदले जाने की योजना सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–I वाराणसी	328.76	736 दिनांक: 26/09/2016
29.	सेकैण्डरी सीवर एवं पुरानी सीवर लाइन के जीर्णोद्धार/ बदले जाने की योजना सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–II वाराणसी	492.04	736 दिनांक 26/09/2016
30.	सेकैण्डरी सीवर एवं पुरानी सीवर लाइन के जीर्णोद्धार/ बदले जाने की योजना सीवरेज डिस्ट्रिक्ट–III ए, वाराणसी	195.83	811 दिनांक 26/10/2016
31.	आई.एंड डी. एवं एस.टी.पी. निर्माण योजना, मिर्जापुर	175.50	268 दिनांक 12/04/2017
	योग	**7255.65**	
1.	एस.टी.पी. के अपग्रेडेशन की पी.एफ.आर., सहारनपुर	57.55	467 दिनांक 17/06/2015
2.	आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. कार्य की पी.एफ.आर. हिण्डन रिवर	2093.40	920 दिनांक 14/11/2015
22.	आई. एंड डी. एवं एस.टी.पी. कार्य की पी.एफ.आर., बरेली	547.56	330 दिनांक: 29/04/2016
	योग	**2698.51**	
	महा योग	**9954.16**	

स्वच्छ निरोगी काया।
स्वच्छ नीर की माया।।

जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन

(जे.एन.एन.यू.आर.एम.)

प्रदेश स्तर पर नागर जल सम्पूर्ति – एक दृष्टि में

प्रदेश में कुल 636 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.45 करोड़ हे, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 22 प्रतिशत है। उक्त 636 नगरों में पेयजल व जलोत्सारण सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :–

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की मार्च 2016 की स्थिति (संख्या)	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	14	14
नगर पालिका परिषद	198	198
नगर पंचायत	424	419
योग	**636**	**631**

5 नगरीय क्षेत्रों में पाइल पेयजल आपूर्ति नहीं है।

- जनपद सिद्धार्थनगर की न0 पं0 उस्का बाजार एवं न0पं0 डुमरियागंज तथा जनपद जौनपुर की न0पं0 बदलापुर में पाइल पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रगति पर है।
- जनपद आजमगढ़ की न0 पं0 माहुल तथा जनपद बस्ती की न0पं0 रूदौली बाजार हेतु पेयजल योजना का विरचन किया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण एवं मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	पेयजल आपूर्ति (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) एल.पी.सी.डी.		मानक के अनुसार नगरों की संख्या	सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या
		निर्धारित मानक	वर्तमान औसत		
1.	10 लाख से अधिक	150	129	7	7
2.	1 लाख से अधिक	135	106	55	31
3.	20 हजार से 1 लाख तक	135*/70	65	265	19
4	20 हजार से कम	135*/70	70	309	1
	योग			636	58

*जलोत्सारण योजना हेतु

प्रदेश के स्थानीय निकायों में पेयजल की वर्तमान स्थिति

निकाय	संख्या	वर्तमान जनसंख्या	पेयजल की कुल मांग (एम.एल.डी.)	उपलब्ध पेयजल (एम.एल.डी.)	अवशेष पेयजल की मांग (एम.एल.डी.)	अवशेष पेयजल की मांग हेतु धन की आवश्यकता (रू. लाख में)	अधिष्ठापित हैण्ड पम्प	
							कुल	रिबोर योग्य
1	2	3	4	5	6*	7	8	9
नगर निगम	14	21318279	3456.50	3478.38	646.89	193578.25	72254	10508
प.पा. परिषद	198	17688204	2604.95	2164.29	1035.81	100722.15	89549	56616
न. पंचायत	424	8164823	973.89	803.27	359.64	47247.12	63548	14672
योग	**636**	**47171307**	**7035-34**	**6445.94**	**2042.34**	**341547.52**	**225351**	**81796**

'स्तम्भ 6 स्तम्भ 4 व स्तम्भ 5 के अन्तर से अधिक है क्योंकि स्तम्भ 6 के आंकलन हेतु उन नगरों को नहीं लिया गया है जिनमें मांग से अधिक पेयजल उपलब्ध है।

आवश्यकतानुसार ट्यूबवेल एण्ड हैण्डपम्प की रिबोरिंग

नगर	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	2016 की संभावित जनसंख्या	विवरण.	उपलब्ध	आवश्यक रिबोर	धनराशि (रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
636	41843867	47171307	टी.डब्लू.एस.	5531	351	11676.00
			एच.पी.एस.	227629	18493	7895.98
					Total	**19571.98**

प्रदेश के नगर निगमों में पेयजल आपूर्ति व भूजल स्तर की वर्तमान स्थिति

नगर निगम का नाम	पेयजल आपूर्ति (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) एल.पी.सी.डी.		भूजल का औसत स्तर (मी. में)	
	निर्धारित मानक	वर्तमान औसत	2006	2016
आगरा	150	108	22	40
इलाहाबाद	150	167	18	20
गाजियाबाद	150	120	17	30
मेरठ	150	135	14	22
कानपुर	150	120	19	25
लखनऊ	150	145	25	35
वाराणसी	150	84	18	24
अलीगढ़	135	130	20	30
फिरोजाबाद	135	81	38	55
सहारनपुर	135	110	7	14
गोरखपुर	135	120	9	12
झांसी	135	95	पहाड़ी क्षेत्र	
बरेली	135	110	7	10
मुरादाबाद	135	145	10	11

आगरा नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	18,03,517
भूमिगत जल	–	खारा एवं पेय योग्य नहीं
वर्तमान जल श्रोत	–	यमुना नदी
पेयजल की वर्तमान मांग	–	386 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	280 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार / वर्तमान)	–	150 / 108 lpcd
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006 / 2016)	–	22 / 40 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	जीवनी मण्डी जलकल – 225 एम.एल.डी. सिकन्दरा जलकल – 144 एम.एल.डी.

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	आगरा जलसम्पूर्ति	102.99	2008	102.985	97.04	95%	06 / 17	–
ब) राज्य सेक्टर कार्यक्रम								
2.	ट्रांस यमुना जलसम्पूर्ति	33.80	2015	30.96	24.50	85%	09 / 17	8
स) बाह्य सहायतित – जापान इण्टरनेशनल कोऑपरेशन एजेन्सी (JICA) 85% **एवं राज्य सरकार** 15%								
3.	आगरा जल सम्पूर्ति (गंगाजल)	2887.92	2008	1762.00	1709.57	70%	03 / 18	345
	समस्या : जनपद मथुरा की तहसील महावन में 6.68 किमी. एवं तहसील मांट में 1.90 कि.मी. भूमि अर्जन की समस्या है जिसका निराकरण कराने हेतु शासन द्वारा मंडलायुक्त, आगरा एवं जिलाधिकारी, मथुरा से अनुरोध किया गया है।							

नई योजना			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	गृह पेयजल संयोजन	स्वीकृत लागत रू0 11.66 करोड़	कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।

इलाहाबाद नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या – 15 लाख
वर्तमान जल श्रोत – यमुना नदी एवं नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग – 259 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता – सतही श्रोत 135 एम.एल.डी. एवं भूगर्भ जल 220 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान) – 150/167 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016) – 18/20 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र – खुसरूबाग जलकल – 135 एम.एल.डी.

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	इलाहाबाद जलसम्पूर्ति पार्ट–I	95.05	2008	95.05	90.18	98%	12/17	78
2.	इलाहाबाद जलसम्पूर्ति पार्ट–II	181.10	2009	155.96	155.30	98%	12/17	69
नई/प्रस्तावित योजना								
(अ) अमृत कार्यक्रम								
1.	इलाहाबाद नगर की 185 नलकूप, 44 नग पम्पिंग प्लांट का ऑटोमेशन कार्य एवं हाउस कनेक्शन कार्य			स्वीकृत लागत – 32.29		कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।		
2.	खुसरूबाग जोन में वितरण प्रणाली			प्रस्तावित लागत – 22.60		विरचन कार्य प्रगति पर		
3.	रसूलाबाग, कीडगंज एवं सूलेमसराय जोन में वितरण प्रणाली			प्रस्तावित लागत – 75.00		विरचन कार्य प्रगति पर		
4.	सिविल लाईन्स, अटाला एवं दारागंज जोन में शिरोपरि जलाशय एवं वितरण प्रणाली			प्रस्तावित लागत – 70.00		विरचन कार्य प्रगति पर		

गाजियाबाद नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	19.83 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	गंगा नदी एवं नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	310 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	सतही श्रोत से 56 एम.एल.डी. एवं नलकूप से 175 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	150/120 lpcd
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	17/30 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	प्रताप विहार जलकल – 367 एम.एल.डी.
उपलब्ध हैण्डपम्प	–	6933 नग (713 नग रिबोर योग्य)

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	गाजियाबाद (ट्रांस हिन्डन क्षेत्र) पेयजल	44.42	2009	44.40	43.10	100%	04/15	22
2.	गाजियाबाद (सिस हिन्डन क्षेत्र) पार्ट–1 पेयजल	78.63	2013	60.17	57.38	62%	06/17	30
नई/प्रस्तावित योजना								
(अ) अमृत कार्यक्रम								
1.	पेयजल हाउस कनेक्शन्स	स्वीकृत लागत रू. 29.02 करोड़		कार्य प्रारम्भ				
2.	सिस हिन्डन एरिया पुर्न. पेयजल पार्ट–2 फेज–1	स्वीकृत लागत रू. 37.05 करोड़		कार्य प्रारम्भ				
3.	सिस हिन्डन एरिया पुर्न. पेयजल पार्ट–2 फेज–2	प्रस्तावित लागत रू. 89.38 करोड़		शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।				
4.	सिस हिन्डन एरिया पुर्न. पेयजल पार्ट–II)	प्रस्तावित लागत रू. 41.94 करोड़		शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।				
4..	ट्रांस हिन्डन एरिया में रैनी वैल	प्रस्तावित लागत रू. 65.00 करोड़		विरचन कार्य प्रगति पर				
6.	ट्रांस हिन्डन एरिया (मोहन नगर) पेयजल	प्रस्तावित लागत रू. 50.00 करोड़						

कानपुर नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	29.20 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	गंगा नदी एवं नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	504 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	सतही श्रोत 537 एम.एल.डी. एवं भूगर्भ जल 133 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	150/120 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	19/25 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	बेनाझाबर जलकल 280 एम.एल.डी., गुजेनी जलकल 57 एम.एल.डी. एवं गंगा बैराज जलकल 200 एम.एल.डी.

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	कानपुर जलसम्पूर्ति (इनर ओल्ड एरिया) फेज–I	393.93	2008	393.89	393.22	91%	6/17	200
2.	कानपुर जलसम्पूर्ति फेर्ज–II	475.15	2009	475.15	404.43	82%	09/17	228.50
नई/प्रस्तावित योजना								
(अ) अमृत कार्यक्रम								
1.	कानपुर पेयजल पुनर्गठन योजना ईस्ट सर्विस डिस्ट्रक्ट फेज–3, पार्ट–1		स्वीकृत लागत – 56.27			कार्य प्रारम्भ।		
2.	कानपुर पेयजल पुनर्गठन योजना साउथ सर्विस डिस्ट्रक्ट फेज–3, पार्ट–2		स्वीकृत लागत – 58.67			कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।		
3.	कानपुर नगर पेयजल पुर्नगठन योजना फॉर सिटी सर्विस डिस्ट्रक्ट ऑफ कानपुर सिटी फेज–3, पार्ट–3ए		प्रस्तावित लागत – 30.57			शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।		

लखनऊ नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	34.75 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	गोमती नदी, शारदा सहायक कैनाल एवं नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	675 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	सतही श्रोत से 400 एम.एल.डी. एवं भूगर्भ जल 305 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	150/145 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	25/35 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	ऐशबाग जलकल – 215 एम.एल.डी. बालागंज जलकल 200 एम.एल.डी. एवं गोमती नगर जलकल 80 एम.एल.डी.

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	लखनऊ जलसम्पूर्ति (फेज–I, पार्ट–I)	454.66	2008	454.66	418.39	97%	12/17	285
2.	लखनऊ जलसम्पूर्ति (फेज–I, पार्ट–II)	186.89	2009	186.89	166.32	96%	12/17	40
नई/प्रस्तावित योजना								
(अ) अमृत कार्यक्रम								
1.	पंचम जलकल की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण		स्वीकृत लागत रू. 3.60		कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।			
2.	डिस्ट्रिक्ट–ए में पेयजल हाउस कनेक्शन		स्वीकृत लागत रू. 31.25		कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।			
3.	डिस्ट्रिक्ट–बी, सी. एवं डी. में पेयजल हाउस कनेक्शन		स्वीकृत लागत रू. 42.24		कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।			
4.	तृतीय जलकल की झील की बाउण्ड्रीवाल आदि		प्रस्तावित लागत रू. 16.79		शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।			
5.	अभिषेकपुरम् पेयजल योजना		प्रस्तावित लागत रू. 22.85		शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।			

टिप्पणी : 1. तृतीय जलकल हेतु शारदा सहायक कैनाल से 70 क्यूसेक जल उपलब्ध कराये जाने का शासनादेश अपेक्षित है। 2. डिस्ट्रक्ट–बी व डी की नई योजनाओं के अन्तर्गत चतुर्थ एवं पंचम जलकल हेतु सिंचाई विभाग, उ. प्र. शासन के स्तर से 430 क्यूसेक सतही जल की प्रतिबद्धता (Commitment) निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

मेरठ नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	12 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	अपर गंगा कैनाल एवं नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	190 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	200 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	150/135 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	14/22 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	भोला की झाल जलकल – 100 एम.एल.डी.

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन/चालू योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	मेरठ जलसम्पूर्ति (फेज–I)	341.30	2008	327.64	306.63	98%	6/17	124
नई/प्रस्तावित योजना								
(अ) अमृत कार्यक्रम								
1.	09 जोन्स में पेयजल हाउस कनेक्शन्स	स्वीकृत लागत रू0 15.05 करोड़			कार्य प्रारम्भ।			
2.	157 नलकूप एवं 9 जोनल पम्पिंग स्टेशनों का ऑटोमेशन कार्य।	स्वीकृत लागत रू0 25.64 करोड़			कार्य प्रारम्भ।			
3.	मेरठ पुनर्गठन पेयजल (पाइप लाइन विस्तार)	प्रस्तावित लागत रू0 18.46 करोड			शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।			

वाराणसी नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	16 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	गंगा नदी एवं नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	276 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	330 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	150/84 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	18/24 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	भेलपुर जलकल – 144 एम.एल.डी.
	–	3984 नग (192 नग रिबोर योग्य)

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन/चालू योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	वाराणसी जलसम्पूर्ति (प्रायरिटी–I, फेज–I)	139.79	2008	131.59	128.89	98%	06/17	125
2.	वाराणसी जलसम्पूर्ति (प्रायरिटी–I, फेज–II)	110.51	2010	110.51	87.59	85%	09/17	–
3.	वाराणसी जलसम्पूर्ति (प्रायरिटी–II) ट्रांस–वरुणा	268.36	2010	198.31	188.90	74%	12/17	110
नई/प्रस्तावित योजना								
(अ) अमृत कार्यक्रम								
1.	05 जोन्स में पेयजल हाउस कनेक्शन्स कार्य	स्वीकृत लागत रू0 35.72 करोड़			कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।			
2.	सिस–वरुणा क्षेत्र में माइक्रो टनलिंग विधि से समान्तर फीडर मेन बिछाया जाना।	प्रस्तावित लागत रू0 117.47 करोड़			शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।			

अलीगढ़ नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	9.62 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	150 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	145 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/130 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	20/30 मी0

नई/प्रस्तावित योजना			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	अलीगढ़ शहर के अन्तर्गत हाउस कनेक्शन से सम्बन्धित प्राक्कलन	स्वीकृत लागत रू0 10.16 करोड़	कार्य प्रारम्भ।
2.	अलीगढ़ नगर पुर्नगठन पेयजल	प्रस्तावित लागत रू0 100.00 करोड़	

बरेली नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	10 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	155 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	130 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/110 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	7/10 मी0

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	बरेली जलसम्पूर्ति	78.00	2012	71.24	67.07	95%	06/17	43.5

नई/प्रस्तावित योजना			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	बरेली में पाइप लाइन विस्तार एवं हाउस कनेक्शन का कार्य।	प्रस्तावित लागत रू0 17.61 करोड़	शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

फिरोजाबाद नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	6.50 लाख
भूमिगत जल	–	खारा
वर्तमान जल श्रोत	–	नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	102 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	65 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/81 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)		38/55 मी0

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजनाएं								
अ) राज्य सेक्टर कार्यक्रम								
1.	फिरोजाबाद पुर्नगठन जलसम्पूर्ति (गंगा कैनाल द्वारा)	432.82	2015	266.63	178.30	38%	03/18	120

गोरखपुर नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	7.42 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	नलकूप
पेयजल की वर्तमान मांग	–	115 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	104 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/120 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	9/12 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	4018 नग (192 नग रिबोर योग्य)

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन/चालू योजनाएं								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	गोरखपुर जलसम्पूर्ति (पार्ट–I)	19.87	2008	19.87	19.87	100%	09/12	33
2.	गोरखपुर जलसम्पूर्ति (पार्ट–II)	51.32	2013	26.82	26.82	67%	06/17	33
नई/प्रस्तावित योजना								
(अ) अमृत कार्यक्रम								
1.	गृह पेयजल संयोजन नगर निगम, गोरखपुर	स्वीकृत लागत रू0 3.29 करोड़		कार्य प्रारम्भ				
2.	नलकूपों का स्काडा सिस्टम से ऑटोमेशन योजना	स्वीकृत लागत रू0 8.54 करोड़		कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।				

झांसी नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	5.79 लाख + कैन्टोमेन्ट बोर्ड + बी.एच.ई.एल.
वर्तमान जल श्रोत	–	सतही
पेयजल की वर्तमान मांग	–	160 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	138 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/95 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	पहाड़ी क्षेत्र
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	पहुंज बांध जलकल – 6 एम.एल.डी. माताटीला बांध जलकल – 132 एम.एल.डी.

नई/प्रस्तावित योजना			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	झांसी नगर की पेयजल पुनर्गठन योजना में पुर्ननिर्माण का कार्य	स्वीकृत लागत रू0 219.51 करोड़	प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति विचाराधीन
2.	झांसी नगर पेयजल योजना पुनर्गठन योजना द्वितीय चरण	प्रस्तावित लागत रू0 345.05 करोड़	शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है
3.	झांसी नगर पेयजल योजना पुनर्गठन योजना तृतीय चरण	प्रस्तावित लागत रू0 286.40 करोड़	विरचन कार्य प्रगति पर।

मुरादाबाद नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	9.77 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	भूगर्भ जल
पेयजल की वर्तमान मांग	–	152 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	165 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/145 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	10/11 मी0

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
चालू योजना								
अ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम								
1.	मुरादाबाद जलसम्पूर्ति	45.34	2008	45.34	44.72	100%	10/13	28

नई योजना			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	पेयजल गृह संयोजन का कार्य	स्वीकृत लागत रू0 27.39	कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा रहा है।

सहारनपुर नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	7.70 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	भूगर्भ जल
पेयजल की वर्तमान मांग	–	120 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	100 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/110 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	7/14 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	2310 नग (40 नग रिबोर योग्य)

नई योजना			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	सहारनपुर पेयजल पुनर्गठन योजना (भाग–**I**)	प्रस्तावित लागत रू0 29.31 करोड़	शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है
2.	सहारनपुर पेयजल पुनर्गठन योजना (भाग–**II**)	प्रस्तावित लागत रू0 20.00 करोड़	विरचन कार्य प्रगति पर।

अयोध्या नगर निगम में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	0.83 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	भूगर्भ जल
पेयजल की वर्तमान मांग	–	12.88 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	10.50 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/110 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	5/6 मी0
उपलब्ध हैण्डपम्प	–	1150 नग

रू0 करोड़ में

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य प्रारम्भ का वर्ष	प्राप्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि	जल संवर्धन (एम.एल.डी.)
निर्माणाधीन योजना								
अ) राज्य सेक्टर कार्यक्रम								
1.	अयोध्या (नया घाट) जलसम्पूर्ति	1.61	2014	1.61	1.51	94%	06/17	0.6

नई योजना			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	अयोध्या पुर्न. जलसम्पूर्ति	प्रस्तावित लागत रू0 18.00 करोड़	

मथुरा नगर पालिका परिषद में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	4.18 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	यमुना नदी एवं भूगर्भ जल
पेयजल की वर्तमान मांग	–	65 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	नलकूप 50 एम.एल.डी. सतही श्रोत – 14 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/129 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	10/20 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	गोकुल बैराज जलकल – 80 एम.एल.डी

नई योजनाएं			
(अ) अमृत कार्यक्रम			
1.	गृह पेयजल संयोजन नगर पालिका परिषद, मथुरा	प्रस्तावित लागत रू0 2.69 करोड़	कार्य प्रारम्भ
2.	मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना (भाग–**I**)	प्रस्तावित लागत रू0 41.70 करोड़	विरचन कार्य प्रगति पर।
2.	मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना (भाग–**II**)	प्रस्तावित लागत रू0 170 करोड़	

वृन्दावन नगर पालिका परिषद में पेयजल व्यवस्था

वर्तमान जनसंख्या	–	0.75 लाख
वर्तमान जल श्रोत	–	यमुना नदी एवं भूगर्भ जल
पेयजल की वर्तमान मांग	–	11.65 एम.एल.डी.
पेयजल की वर्तमान उपलब्धता	–	नलकूप 11.50 एम.एल.डी. सतही श्रोत – 15 एम.एल.डी.
पेयजल आपूर्ति (मानक के अनुसार/वर्तमान)	–	135/52 एल.पी.सी.डी.
भूजल का औसत स्तर (वर्ष 2006/2016)	–	5/12 मी0
वर्तमान जल शोधन संयंत्र	–	गोकुल बैराज जलकल – 80 एम.एल.डी

हैण्ड पम्प है दोस्त हमारा।
समझो क्या है फर्ज तुम्हारा।।

राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 97942 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 15.53 करोड़ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी कुल 3.57 करोड़ अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.1 करोड़ तथा अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी 3.00 करोड़ (लगभग) है।

वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति मुख्यतः इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प पर आधारित है। भारत सरकार/राज्य सरकार की नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र की 90 प्रतिशत आबादी को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु कार्यक्रम

प्रदेश में पेयजल आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य कराये जा रहे है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश में वर्णित प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैः–

- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- पेयजल प्रणाली तथा स्रोत सस्टेनिबिलिटी सुनिश्चित कराना।
- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढ़ांचा विकसित कर पेयजल की गुणता संरक्षित करना।

कार्यक्रम का विवरण

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 1974–75 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–2001 से मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 2002–2003 से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विलय प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में कर दिये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2005–06 से इस योजना को ग्रामीण जलापूर्ति एवं जलोत्सारण का नाम दिया गया।

वर्ष 2010–11 से योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम कर दिया गया है। इस संबन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना को निम्नलिखित घटकों में विभक्त किया गया है। जिसके लिए मात्राकरण एवं वित्त पोषण निम्नानुसार किया जाना है।

क्र. सं0	घटक	मात्राकरण (प्रतिशत में)	फन्डिंग पैटर्न	
			केन्द्रांश	राज्यांश
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–आच्छादन	42%	50%	50%
2	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–गुणता प्रभावित	20%	50%	50%
3	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–इयर मार्क वॉटर क्वालिटी जीवाणु	5%	50%	50%
4	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–इयर मार्क वॉटर क्वालिटी रासायनिक		50%	50%
5	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–सस्टेनिबिलिटी	10%	60%	40%
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–संचालन एवं अनुरक्षण	15%	50%	50%
7	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–सपोर्ट एक्टिविटी	5%	60%	40%
8	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–गुणता अनुश्रवण एवं निगरानी	3%	60%	40%

राज्य द्वारा पोषित योजनाओं का समावेश उक्तानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में किया जा चुका है तथा आवश्यक राज्यांश की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा पूर्व संचालित योजनाओं के माध्यम से की जा रही है।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के पास है, स्वीकृति समिति में भारत सरकार के एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (आच्छादन)

योजना के अन्तर्गत नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं रिबोरिंग तथा पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य किये जा रहे हैं।

- पूर्व से निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित अवशेष बस्तियों में पाइप पेयजल योजना का निर्माण पूर्ण कराया जाना।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अन्तर्गत ओ0डी0एफ0 ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
- नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु शासन द्वारा 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प तथा दो हैण्डपम्पों के बीच न्यूनतम 75 मीटर की दूरी का मानक निर्धारित किया गया है। डा0 लोहिया समग्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्रामों में 100 की आबादी पर एक हैण्डपम्प का मानक निर्धारित है।

प्रदेश में माह मार्च, 2016 तक 26.07 लाख हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। जल निगम एवं उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा स्थापित किये जाने वाले हैण्डपम्प 90:10 का अनुपात निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 1497 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 400 पाइप पेयजल योजनाओं को मार्च 2017 तक पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च 2017 तक 300 योजनाएं पूर्ण/जनोपयोगी की जा चुकी है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग वर्तमान में निर्माणाधीन ऐसी योजनायें जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है में ही किया जाना है। 25 प्रतिशत से कम प्रगति वाली योजनाओं का वित्त पोषण राज्य द्वारा अपने संसाधनों से किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (गुणता प्रभावित बस्तियाँ)

01.04.2005 को प्रदेश में 7395 (आर्सेनिक प्रभावित 1018 बस्तियां सम्मिलित) गुणता प्रभावित बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना शेष था। इन समस्त बस्तियों को मार्च 2013 तक सुरक्षित पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में 1272 नई गुणता प्रभावित बस्तियॉ चिन्हित हुई, जिनकों सम्मिलित करते हुए प्रदेश में वर्तमान में कुल 8667 गुणता प्रभावित बस्तियाँ (1225 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों को सम्मिलित करते हुए) चिन्हित हैं। इनमें से 8499 बस्तियों को मार्च 2017 तक सुरक्षित पेयजल व्यवस्था से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में शेष 168 गुणता प्रभावित बस्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल हेतु कार्य

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रदेश में 20 जनपद नामतः गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर देहात एवं सहारनपुर जे0 ई0/ए0ई0एस0 से प्रभावित हैं।

सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित जनपदों की प्रत्येक ऐसी बस्ती, जिसमें विगत 3 वर्षों में कोई मरीज चिन्हित हुआ है, में एक मिनी पाइप पेयजल योजना तथा सार्वजनिक रूप से प्रयोग हो रहे छिछले हैण्डपम्पों के स्थान पर एक इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प का अधिष्ठापन किया जाना है।

उक्त उद्देश्य से पेयजल आपूर्ति कार्यों को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में ए0ई0एस0/जे0ई0 से सर्वाधिक प्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के 7 जनपदों की 3357 प्रभावित बस्तियों में 3357 मिनी पाइप पेयजल योजनाओं तथा 18822 इंडिया मार्क–2 हैण्डपंपों हेतु रू0 141.69 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी जिसके सापेक्ष मार्च 2017 तक 139.12 करोड़ प्राप्त हुये है।

उक्त कार्ययोजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित 3357 बस्तियों हेतु प्रस्तावित की गई थी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के समय बस्तियों के स्थलीय निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चयनित उक्त 3357 बस्तियों में से 140 बस्तियाँ नगरीय क्षेत्र में स्थित पाई गई है। इसके अतिरिक्त सूची में 277 बस्तियाँ ऐसी है, जिनके नाम दो स्थानों पर उल्लेखित हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 3357 बस्तियों की सूची में कुल 2734 ए0ई0एस0/जे0ई0 प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में ही 2734 मिनी पाइप पेयजल योजनाओं तथा 18295 इंडिया मार्क–2 हैण्डपंपों का क्रियान्वयन किया जाना हैं।

कार्ययोजना के अन्तर्गत मार्च, 2017 तक 133.04 करोड़ व्यय कर समस्त 18295 नये इण्डिया–II हैण्डपंपों का अधिष्ठापन तथा कुल 2592 मिनी पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है तथा 142 योजनाओं पर विद्युत संयोजन को छोड़कर अन्य समस्त कार्य पूर्ण है। शेष 03 मिनी पेयजल योजनाओं पर स्थल विवाद/भूमि अनुपलब्धता के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सस्टेनिबिलिटी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेयजल के श्रोत एवं सिस्टम को सस्टेनेबुल करना है, जिससे पेयजल व्यवस्था में शुद्ध एवं एक समान पेयजल उपलब्धि भविष्य में सुनिश्चित हो सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चैक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान्ट तथा तालाबों के जीर्णोद्धार के माध्यम से से भूजल रिचार्ज के कार्य कराये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनेबिलिटी मद में पेयजल योजनाओं पर सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति हेतु भी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (अनुरक्षण एवं संचालन)

झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जल सम्पूर्ति के संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व संबन्धित जल संस्थानों का है। झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–3426/9–2(3)–79 दिनांक 01 अगस्त, 1989 एवं 2894/9–2–87–57(93)/87 दिनांक 16 मार्च, 1988 द्वारा जल संस्थान के अधिकार एवं दायित्व जल निगम को सौंपे गये हैं तद्नुसार प्रदेश के अन्य मण्डलों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के दायित्व को उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वहन किया जा रहा है।

शासनादेश सं0 992/38–5–2002 दिनांक 26.3.2002 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के अनुरक्षण का कार्य दिनांक 01.04.2002 से ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

उ0 प्र0 शासन द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ''संचालन एवं अनुरक्षण नीति'' का निर्धारण कर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन के पत्रांक 111/अड़तीस–5–2015–36 सम/2013 दिनांक 09.02.2015 द्वारा अनुपालन हेतु निर्गत की जा चुकी है।

मार्च 2017 तक 1951 एकल ग्राम योजनाओं के संचालन एवं रख रखाव हेतु संबन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा जल निगम द्वारा 2121 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। झांसी मण्डल जल संस्थान, झॉसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल जल संस्थान, बांदा द्वारा कुल 157 योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के कमजोर वर्ग के त्वरित उत्थान हेतु अनुसूचित जाति एवं जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों हेतु निर्धारित प्रतिशत में धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। भारत सरकार के सापेक्ष राज्यांश के अन्तर्गत आवश्यक मात्राकृत धनराशि की स्वीकृति समाज कल्याण विभाग के माध्यम से की जाती है।

मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

भारत सरकार के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक वर्गो के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश के 24 अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों (रामपुर, जे.पी. नगर, बरेली, पीलीभीत, बुलंदशहर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बागपत, बदांयू, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, सम्भल, लखनऊ, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती) में विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जाती है इस

कार्यक्रम में राज्यांश एवं केन्द्रांश क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत डिपोजिट कार्य के रूप में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन एवं पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य क्रियान्वित किये जाते है। दिनांक 31.03. 2017 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 20926 नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन एवं अक्रियाशील हैण्डपम्पों की रिबोरिंग हेतु कुल रू0 7677.74 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष मार्च 2017 तक कुल 16399 (नये एवं रिबोर) हैण्डपम्पों का कार्य कराया गया है

इसी प्रकार मार्च 2017 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 132 पाइप पेयजल योजनाओं हेतु 20600.99 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष माह मार्च 2017 तक 113 योजनाओं में से 10 योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी बनाया जा चुका है तथा शेष 103 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है। 19 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना शेष है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मा0 सांसदों/विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा की जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य विभिन्न कार्यो के साथ–साथ पेयजल सम्बन्धी योजनाएं सम्मिलित हैं। जिन कार्यो हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा आगणन मांगे जाते हैं, उन कार्यो के आगणन तैयार कराकर नियोजन विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

पाइप पेयजल योजना से अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्र के आच्छादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक संख्या में योजनाओं को स्वीकृत कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नये/ रिबोर व पाइप पेयजल योजनाओं हेतु कुल स्वीकृत रू0 554.20 करोड़ में से मार्च 2017 तक रू0 484.46 करोड़ व वर्ष 2017–18 में 1.82 करोड़ प्राप्त हुये है इस तरह कुल रू0 486.28 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है। योजना अन्तर्गत 54015 नये, 9055 रिबोर एवं 132 पाइप पेयजल योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2017 तक 45771 नये, 7713 रिबोर व 96 पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये है।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत प्रथम चरण में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों हेतु कुल रू0 91.63 करोड़ की योजनायें स्वीकृत की गयी थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल सम्बन्धी कार्यों हेतु समस्त धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्र सरकार से नियोजन विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से प्राप्त होती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत

समस्त धनराशि रू0 91.63 करोड़ अवमुक्त हो गयी हैं जिसके सापेक्ष मार्च, 2017 तक कुल रू0 91.63 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है। प्रथम चरण के समस्त कार्य पूर्ण है।

बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में कुल अनुमानित लागत रू0 181.28 करोड़ की 48 पाइप पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, जिनका योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उक्त के सापेक्ष समस्त 48 योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रू0 174.92 करोड़ धनराशि मार्च, 2017 तक प्राप्त हो चुकी है तथा 31.03.2017 तक रू0 127.10 करोड़ का व्यय हो चुका है। उक्त में से श्रोत उपलब्ध न होने के कारण ड्राप कर दी 03 योजनाओं के स्थान पर वैकल्पिक योजनाओं के प्रस्ताव नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके है। मार्च 2017 तक 22 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके है। शेष 23 योजनाओं पर कार्य प्रगति में है। इनमें से 20 योजनायें जून 2017 तक, 02 योजनायें सितम्बर 2017 तथा 01 योजना मार्च 2018 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना

भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्र में पिछड़े हुए चार राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड एवं असम को कुल रू0 5000.00 करोड़ की तकनीकी सहायता (टेक्निकल एसिस्टेंस) उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त रू0 5000.00 करोड़ की धनराशि में से रू0 2500.00 करोड़ की धनराशि विश्व बैंक का ऋण होगा, जो भारत सरकार द्वारा प्राप्त करके उक्त चार राज्यों को दिया जा रहा है। शेष रू0 2500.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित केन्द्रांश एवं राज्यांश के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हेतु लगभग रू0 1950.00 करोड़ का प्राविधान है। छः वर्षो की अवधि में पूर्ण होने वाली उक्त परियोजना हेतु मूल प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश के 10 जनपद क्रमशः इलाहाबाद, गोरखपुर, गोण्डा, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, बहराइच, सोनभद्र, बलिया एवं गाजीपुर को सम्मिलित किया गया है। मूल प्रस्ताव के अनुसार योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाना था, किन्तु अब इसे 02 चरणों में ही पूर्ण करने का प्रस्ताव है। परियोजना के द्वितीय चरण में परियोजना में जनपद फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर एवं वाराणसी को भी सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 के अन्तर्गत गठित राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ विभिन्न क्षमता विकास एवं जन जागरूकता के कार्यो का प्राविधान किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल निर्माण कार्यो हेतु उ0 प्र0 जल निगम को तकनीकी संस्था नामित किया गया है। प्रथम चरण में 9 जनपदों की 246 ग्राम पंचायतों हेतु कुल अनुमानित लागत रू0 445.85 करोड़ की 233 पाइप पेयजल योजनायें विरचित की जा चुकी है। माह दिसम्बर 2016 तक परियोजना के बैच–1 के अन्तर्गत 233 योजनाओं के अनुबन्ध सम्पादित किये जा चुके है तथा 230 योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इनमें से मार्च 2017 तक 34 पेयजल योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी है।

सौलर ऊर्जा आधारित ड्यूवल हैण्डपम्प (मिनी पेयजल योजना) का कार्य

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रदेश के कुल 35 जनपदों में 1400 सौलर ऊर्जा आधारित ड्यूवल हैण्डपम्प (मिनी पेयजल योजनाओं) का कार्य स्वीकृत किया गया है। कुल स्वीकृत 1400 सौलर ऊर्जा आधारित ड्यूवल हैण्डपम्प (मिनी पेयजल योजनाओं) के सापेक्ष 850 मिनी पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

निर्माण कार्य हेतु कुल आवश्यक धनराशि रू0 92.25 करोड़ के सापेक्ष आंशिक धनराशि रू0 59.39 करोड़ प्राप्त हो चुकी है।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना :–

प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य ग्रामीण पेयजल योजना का आरम्भ किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में इस योजना हेतु रू0 600 करोड़ स्वीकृत है। योजना के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं एवं हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है।

क– ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या–390/ अड़तीस–5–2016–22सम/ 2016 दिनांक 27.04.2016 द्वारा प्रदेश के समस्त मा0 सदस्य, विधान सभा एवं समस्त मा0 सदस्य, विधान परिषद की संस्तुति पर उनके क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 100 नग नये एवं 100 नग रिबोर हैण्डपम्पों के लगाये जाने का आदेश निर्गत किया गया है इस शासनादेश के सापेक्ष लगभग 47900 नये एवं लगभग 47900 रिबोर हैण्डपम्पों के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2017 तक 40182 नग नये व 37577 नग रिबोर हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष 7318 नग नये व 9923 नग रिबोर हैण्डपम्पों का कार्य माह जून 2017 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

ख– राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 21 जनपदों में 160 ग्रामों हेतु गत वित्तीय वर्ष में 160 ग्रामीण पेयजल योजनायें स्वीकृत की जा चुकी है, वित्तीय वर्ष 2017–18 में इन योजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव है।

वर्ष 2015–16 में जल निगम का अनुमान, प्राप्तियां तथा प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04.2015)	वर्ष 2015–16 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2015–16 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.04.2016)
1	2	3	4	5	6	7
1	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**	22236.149	85296.01	107532.159	90773.16	16758.999
2	बुन्देलखण्ड पैकेज	8540.46	7533.35	16073.81	12592.51	3481.3
3	एम.एस.डी.पी.	15091.418	4744.12	19835.54	16246.60	3588.94
4	त्वरित आर्थिक विकास	2573.77	10263.57	12837.34	9196.53	3640.81
	कुल योग	**48441.797**	**107837.05**	**156278.84**	**124808.80**	**31470.047**

वर्ष 2016–17 में जल निगम का अनुमान, प्राप्तियां तथा प्रगति

क्र. सं.	कार्यक्रम/मद का नाम	अवशेष धनराशि (01.04.2016)	वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	वर्ष 2016–17 का व्यय	अवशेष धनराशि (01.04.2017)
1	2	3	4	5	6	7
1	**राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम**	16758.999	112835	129593.999	91800	37793.999
2	बुन्देलखण्ड पैकेज	3481.3	15264	18745.3	10830	7915.3
3	एम.एस.डी.पी.	3588.94	8047.98	11636.92	5120.94	6515.98
4	त्वरित आर्थिक विकास	3640.81	1419.54	5060.35	1041.83	4018.52
5	राज्य ग्रामीण पेयजल योजना	0	57700.00	57700.00	39500.00	18200.00
	कुल योग	**22204.719**	**195135.98**	**217340.699**	**151071.29**	**66269.409**

राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति–सहायक गतिविधियॉ

सहायक गतिविधियों के अर्न्तगत सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा पूर्ण कराये गये कार्य

डच सहायतित परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाने एवं समुदाय को प्रेरित करने हेतु साफ्ट–वेयर कार्यों के लिए वर्ष 1999 में सामुदायिक सहभागिता इकाई गठित की गयी थी। सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा माह जून 1999 से परियोजना क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के बारे में जागरूकता अभियान एवं सामुदायिक सहभागिता के कार्य सम्पादित कराये गये।

डच सहायतित परियोजना के कार्य समाप्त होने के उपरान्त इकाई द्वारा वर्ष 2000–01 में जनपद ललितपुर में सहयोगी संस्था के रूप में विश्व बैंक सहायतित पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की स्वजल परियोजना, जनपद इलाहाबाद में यूनीसेफ सहायतित बाल पर्यावरण परियोजना, जनपद इलाहाबाद में यूनीसेफ सहायतित आल्टरनेट डिलीवरी सिस्टम एवं स्वच्छता प्रसार कार्यक्रम तथा अर्बन इनीसिएटिव इन स्लम्स ऑफ इलाहाबाद कार्यक्रम का भी कार्य किया गया।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार द्वारा पोषित आई.ई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के चार जनपदों क्रमशः रायबरेली, वाराणसी, बॉदा एवं हाथरस की ग्राम पंचायत की जल प्रबन्धन के समितियों के सुदृढीकरण एवं प्रशिक्षण, के साथ–साथ जनसमुदाय को पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी जानकारी देकर जागरूक करने का कार्य किया गया।

प्रदेश की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य :–

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के समस्त 70 जनपदो की ग्रामीण बस्तियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के सर्वेक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थानीय इकाईयों के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारियों के सहयोग से किया जा चुका है। ग्राम स्तर पर आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य जल निगम के फील्ड स्टाफ तथा अन्य विभागों के सहयोग से करके जनपद की नेशनल इन्फार्मेटिक सेन्टर के सहयोग से आंकड़ों की डाटाएन्ट्री का कार्य पूरा करके आंकड़ों को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा वर्तमान में कराये जा रहे कार्य :

सामुदायिक सहभागिता इकाई की सामुदायिक सहभागिता एवं जन जागरूकता कार्यो के अनुभव को देखते हुए इकाई को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अर्न्तगत सपोर्ट कार्यो के निष्पादन एवं अनुश्रवण का दायित्व सौपा गया है। इसके अर्न्तगत पेयजल योजनाओं के आंकडों को भारत सरकार की वेब साइट पर दर्ज करने, पेयजल की गुणवत्ता के ग्राम स्तर एवं प्रयोगशालाओं के माध्यम से अनुश्रवण, कम्प्युटराईजेशन तथा प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता के कार्य सम्मिलित है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अनुश्रवण के साथ–साथ सामुदायिक सहभागिता इकाई द्वारा वर्तमान में ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं सर्तकता (वाटर क्वालिटी मानीटरिंग एवं सर्विलेन्स) कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड किट के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तरीय जल परीक्षण के लिए फील्ड टेस्ट किट व एच0टू0 एस0 की शीशियाँ उपलब्ध कराने, जनपद/राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना/उच्चीकरण/सृदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

7

सौ रोगों की एक दवाई।
स्वच्छ नीर और साफ सफाई।।

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम का कार्य कलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है, जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य भार की कमी को देखते हुए निदेशक मण्डल, उ0प्र0 जल निगम की 90वीं बैठक दिनांक 10.03.89 के मद सं0 90.06 में लिए गये निर्णय एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के कार्यकारी आदेश सं0 415/पी0–1/173 दिनांक 19.04.89 के द्वारा **''कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0 प्र0 जल निगम''** नाम से एक विंग का सृजन किया गया था। शासनादेश संख्या 2401/9–3–91–249 सी/91 दिनांक 06.06.91 द्वारा इस विंग को राजकीय निर्माण एजेन्सी की श्रेणी में नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या ई–8–157/दस–2013–1074/2012 दिनांक 12.02.2013 द्वारा **अन्य निर्माण एजेन्सियों के साथ ''कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0 प्र0 जल निगम'' को प्रथम श्रेणी में रखा गया है।**

यह विंग निदेशक, जो कि उ0प्र0 जल निगम के मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी होते है, के अधीन कार्यों का सम्पादन करती है। वर्तमान में विंग में चार मुख्य महाप्रबन्धक, (अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी), तीन लखनऊ तथा एक गौतम बुद्ध नगर, 13 महाप्रबन्धक, (अधिशासी अभियंता स्तर के अधिकारी) जिनमें से 06 लखनऊ में, 02 गाजियाबाद में, 03 नोएडां, 01 रामपुर एवं 01 अलीगढ़ में कार्यरत है। इन महाप्रबंधकों के अधीन 49 यूनिटें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एवं 04 यूनिटें प्रदेश के बाहर, उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड), अहमदाबाद (गुजरात), नासिक (महाराष्ट्र) एवं जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) में कार्यरत हैं। इन यूनिटों के इंचार्ज परियोजना प्रबन्धक होते हैं। इस विंग में लगभग 225 वरिष्ठ स्थानिक अभियन्ता/स्थानिक अभियंताओं के रूप में विभिन्न यूनिटों में कार्यरत है। प्रत्येक यूनिट को स्वावलम्बी होने के लिए यह आवश्यक है कि इनका न्यूनतम टर्नओवर प्रतिवर्ष लगभग रू0 20.00 करोड़ हो अर्थात् विंग के स्वावलम्बी होने के लिए विंग का वार्षिक टर्नओवर रू0 1000.00 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

वित्तीय एवं भौतिक स्थितिः

वर्ष 2015–16 में रु0 1820.00 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त करने का लक्ष्य था। जिसके सापेक्ष माह 03/2016 तक रू0 1652.41 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त हुआ है। उक्त

कार्यो से रू0 169.90 करोड़ की सेन्टेज प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 521 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसके सापेक्ष माह 03/2016 तक कुल 400 परियोजनायें पूर्ण की गयीं है।

वर्ष 2016–17 में रु0 1950.00 करोड का टर्न ओवर प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष माह 02/2017 तक रू0 1781.56 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त हुआ। उक्त कार्यो से रू0 210.57 करोड़ की सेन्टेज प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 550 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया हैं जिसके सापेक्ष माह 02/2017 तक कुल 240 परियोजनायें पूर्ण की गयी है।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन आज भी एक जटिल समस्या बनी हुई है। जनसंख्या में उत्तरोतर वृद्धि के फलस्वरूप उक्त प्रबन्धन और भी जटिल होता जा रहा है। कूड़े में जैविक (बायोडिग्रेडेबल्स) तथा अजैविक (नॉन–बायोडिग्रेडेबल्स) दोनों अंश पाये जाते हैं। जैविक अंश का निस्तारण वर्तमान में वगैर शोधन के किया जा रहा है। जिसके कारण कालान्तर में इससे पैदा होने वाली घातक मीथेन गैस से पर्यावरण पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार निस्तारित कूड़े से प्रदूषित लीचेट निकलता है, जिससे भूमि व भूर्गभीय जल श्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। संक्षेप में जैविक अंश का शोधन यदि नहीं होता है तो इस का प्रभाव पर्यावरण के लिये अत्यन्त घातक होता है।

अजैविक (नॉन–बायोडिग्रेडेबल्स) सॉलिड वेस्ट में पुनर्चक्रण योग्य सामग्री बहुतायत से पायी जाती है। ईंधन हेतु उपयोगी पदार्थ भी पाये जाते हैं। अतः सॉलिड वेस्ट के शोधन के समय इनको अलग कर पुनर्चक्रण से, खनिज पदार्थो एवं उर्जा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों की खपत में बचत की जा सकती है।

सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में पदार्पण के उपरांत सॉलिड वेस्ट के शोधन के लिये वर्तमान में प्रचलित शोध प्रक्रिया का गहन अध्ययन कर मानक तैयार किये गये एवं यह मत स्थिर हुआ कि जैविक अंश के शोधन के साथ–साथ सॉलिड वेस्ट में से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को रिक्लेम किया जाना भी कूड़े के समुचित प्रबन्धन व शोधन हेतु आवश्यक है, एवं ऐसा करके ही एम0एस0डब्लू0एम0 2000 रूल्स के मुख्य उद्देश्य कि, ''शोधन हेतु ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाये जिससे भूमि पर लैण्डफिल के कारण पड़ने वाला भार कम हो सके'', की पूर्ति सम्भव हो पायेगी। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में जैविक अंश का शोधन ''विन्डरोस कम्पोस्टिंग '' विधि से किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रक्रिया में, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसों का

न्यूनतम उत्सर्जन होता है। अजैविक अंश के शोधन हेतु मैकेनिकल सैग्रिगेशन विधि का उपयोग कर ज्वलनशील पदार्थो को अलग कर उनके पैलेटस् बना लिये जाते है। जिनका प्रयोग ब्वायलर / फर्नेसेज में आसानी से किया जा सकता है। प्लास्टिक तथा मैटेल को पृथक कर उनका भी पुनर्चक्रण किया जा सकता है तथा भवन के मलबे को क्रश करके प्रोसेसिंग कर, उपयोग लायक सामग्री अलग की जा सकती है, जिसका उपयोग सीधे भवन निर्माण या इकोब्रिक बनाने में किया जा सकता हैं। उक्त प्रक्रिया को अपनाये जाने से लैण्डफिल में जाने वाले कूड़े की मात्रा को 20 प्रतिशत या इससे कम किया जा सकेगा जिससे भूमि की बचत हो सकेगी। प्रोसेसिंग की इस विधि को इन्टीग्रेटेड प्रोसेसिंग फेसिलिटी के नाम से जाना जाता है।

सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा प्रदेश के 27 नगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं की स्वीकृत लागत रू0 410.74 करोड़ है। भारत सरकार द्वारा कुल स्वीकृत परियोजनाओं में मात्र जैविक अंश के शोधन हेतु धन उपलब्ध है। अतः कूड़े के पूर्ण शोधन जिसमें जैविक अंश एवं पुनर्चक्रण योग्य कूड़े का शोधन भी सम्मिलित है, हेतु अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी पूर्ति हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन पी0पी0पी0 मोड पर प्रस्तावित किया गया है। निविदाऍ आमंत्रित करते समय कूड़े के शोधन हेतु उपरोक्त विकल्प को अपनाया गया है जिसकी स्वीकृति प्रदेश सरकार द्वारा भी दे दी गयी है।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यो हेतु 27 नगरों की निविदाऍ स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिसमें रू0 491.92 करोड़ का बाह्य निवेश भी प्राप्त होना कमिटेड है। 22 नगरों में कार्य प्रगति में है जिनमें से अलीगढ़, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, कन्नौज, मुरादाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, बाराबंकी एवं कानपुर नगर में कार्य पूर्ण कर प्लाण्ट कार्यशील है तथा कूड़े का शोधन हो रहा है। आगरा, इलाहाबाद में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा दिये गये है तथा प्रोसेसिंग प्लाण्ट चालू कर कूड़े का शोधन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष तीन नगरों लोनी, फिरोजाबाद तथा बस्ती में भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्य अवरूद्ध है। झाँसी एवं गोरखपुर नगरों की योजनाओं पर आपरेटर द्वारा कार्य छोड़ दिये जाने के कारण पुर्ननिविदा आमंत्रण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के 177 नगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रू0 2210.00 करोड़ के प्रस्ताव के विरूद्ध प्रथम चरण में रू0 740.00 करोड़ लागत की परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से वाह्य सहायता प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश पर समूह आधारित योजनाओं के सृजन हेतु रिमोर्ट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर लखनऊ द्वारा सामूहिक लैण्डफिल की स्थापना के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 47 स्थलों का प्रस्ताव किया गया है। विश्व बैंक भूमि की उपलब्धता के आधार पर मिशन द्वारा इनमें से 26 स्थलों का स्थलीय निरिक्षण कर मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 7 स्थलों (फिरोजाबाद, हरदोई, बिजनौर, गाजियाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत तथा गाजीपुर) की प्रथम दृष्टा उपयुक्त पाया गया है

इलाहाबाद नगर में कुम्भ/अर्द्धकुम्भ/माघ मेला के अवसर पर वृद्ध, अशक्त एवं विकलांग तीर्थ यात्रियों हेतु संगम तट तक सुरक्षित एवं सुगम चार लेन मार्ग व सेतु का निर्माण कार्य, अनुमानित लागत रू0 975.09 करोड़ प्रस्तावित है।

निगम की कार्य कुशलता को देखते हुए वर्ष 2009–10 में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, बांदा का लगभग रू0 350.00 करोड़ की लागत कार्य शासन द्वारा आवंटित किया गया जिसका सम्पादन किया जा रहा है।

विंग द्वारा प्राचीन कालीन संरक्षित भवनों का जीर्णोद्धार कार्य भी कराया गया है, इसके अर्न्तगत कुसुम सरोवर गोबर्धन एवं मथुरा का कार्य उल्लेखनीय है।

उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के विभागों यथा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, मिन्ट तथा प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्यों आदि में भी सी0एण्ड डी0एस0 को उसकी ख्याति के आधार पर कार्य प्राप्त हुए है, जिनका सफलतापूर्वक सम्पादन किया गया/जा रहा है।

सिविल निर्माण से अलग हटकर पिछले वित्तीय वर्षों में सी0 एण्ड डी0एस0 को नागरिक उड्डयन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एवम् विद्युत क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के कार्य भी प्राप्त हुए जिनका सफल सम्पादन किया गया/जा रहा है।

सी0एण्ड डी0एस विंग की विगत वर्षो की उपलब्धि निम्नानुसार हैं :–

वित्तीय वर्ष	परियोजनाओं की संख्या				उपलब्ध धनराशि (रू0 करोड़ में)			
	अवशेष निर्माणाधीन	वर्ष में प्रारम्भ	पूर्ण की गई	अवशेष निर्माणाधीन	अवशेष धनराशि	वर्ष में प्राप्ति	कुल उपलब्ध	व्यय
प्रारम्भ से 3/2001 तक	-	-	2262	1648	-	-	-	814.27
2001–2002	1648	376	713	1311	56.10	276.59	332.69	233.26
2002–2003	1311	373	443	1241	99.43	256.49	355.92	247.07
2003–2004	1241	594	334	1501	108.85	276.08	384.93	332.62
2004–2005	1501	527	620	1408	52.31	244.21	296.52	226.03
2005–2006	1408	743	427	1724	70.49	328.62	399.11	259.63
2006–2007	1724	700	487	1937	139.48	436.49	575.97	394.60
2007–2008	1937	470	714	1693	181.37	388.02	569.39	350.57
2008–2009	1585	571	570	1586	218.82	877.58	1096.40	638.68
2009–2010	1560	380	603	1337	457.72	810.24	1267.96	861.61
2010–2011	1337	675	415	1597	406.35	1239.43	1645.78	1130.17
2011–2012	1531	768	608	1691	515.61	1226.76	1742.37	1484.02
2012–2013	1691	379	425	1645	258.35	1023.59	1281.94	951.22
2013–2014	1645	579	424	1800	330.72	1274.93	1605.65	1131.41
2014–2015	1800	538	375	1963	474.24	1272.13	1746.37	1162.14
2015–2016 (माह 11/2015 तक)	1963	635	400	2198	584.23	1862.82	2447.05	1652.41
2016–2017 (माह 02/2017)	2198	450	250	2398	794.64	1758.37	2553.01	1781.58

निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

भौतिक

विवरण	यूनिट	वर्ष 2015–16 के लक्ष्य			वर्ष में उपलब्धि	वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित लक्ष्य			उपलब्धि 02/2017 तक	टिप्पणी
		अवशेष	वर्ष में	कुल (3+4)		अवशेष	वर्ष में	कुल (3+4)		
01	02	03	04	05	06	03	04	05	06	07
योजना पूर्ण करना	संख्या	76	445	521	400	121	429	550	250	–

वित्तीय

(रू0 करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2015–16 में सी0एण्ड डी0एस0 का अनुमान, प्राप्तियाँ तथा प्रगति						वर्ष 2016–17 में सी0एण्ड डी0एस0 का अनुमान, प्राप्तियाँ तथा प्रगति					
	01.04.2015 को अवशेष	अनुमानित प्राप्तियाँ (पी0एल0 ए0 सहित)	शासन स्तर से निर्गत स्वीकृतियाँ	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध (2 + 5)	वर्ष में व्यय	01.04.2016 को अवशेष	अनुमानित प्राप्तियाँ (पी0एल0 ए0 सहित)	शासन स्तर से निर्गत स्वीकृतियाँ	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध (2 + 5)	वर्ष में व्यय (माह 02 / 2017 तक)
01	02	03	04	05	06	07	02	03	04	05	06	07
कार्यों की लागत	584.23	1820.00	1862.82	1862.82	2447.05	1652.41	794.64	1950.00	1758.37	1758.37	2553.37	1781.58

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0 प्र0 जल निगम

स्टेटस ऑफ एक्सीक्यूशन ऑफ जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम (फाइनेन्सियल प्रोग्राम)

क्रम सं.	योजना का नाम	प्रोजेक्ट की सं0	वेस्ट जनरेटेड दर	जनसंख्या	स्वीकृत धनराशि	सी0 एण्ड डी0 एस0 को धनराशि अवमुक्त				व्यय	जल निगम द्वारा स्थानीय निकाय को भेज गये उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि	कम्पोस्ट जनरेशन ऑन (टी0डी0पी0)	टिप्पणी
			टी.डी.पी.	वर्ष (2011)		केन्द्रांश	राज्यांश	स्थानीय निकाय का अंश	योग				
1	2	3	4	5	6	7ए	7बी	7सी	7डी	8	9	10	11
1	यू.आई.जी.	7	5330	11686766	251.50	112.21	44.83	70.39	227.44	216.88	167.82	230.00	0.00
2	यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी.	19	2025	6818991	169.02	106.44	12.89	13.12	132.46	99.78	94.91	86.00	0.00
3	यू.आई.डी. एस.एस.टी.	1	45	89566	8.98	7.18	0.90	0.90	8.98	7.16	4.26	0.00	0.00
4	स्टेट सेक्टर	3	250	788057	58.64	0	23.4	0	23.4	1.27	0	0	0
5	एयर फील्ड टाउन	2	600	2901336	27.38	26.62	0	0	26.62	20.16	0	0	0
	योग	**32**	**8450**	**22284716**	**515.52**	**252.46**	**82.02**	**84.41**	**418.90**	**345.25**	**266.99**	**316.00**	**0.00**

सारांश

(योजनाओं की वर्तमान प्रगति)

कुल स्वीकृत योजनायें	
1. यू0आई0जी0	7
2. यू0आईडी0एस0एस0एम0टी0	19
3. यू0आईडी0एस0एस0टी0	1
4. राज्य सेक्टर	3
5. एयर फील्ड टाउन	2
कुल	32

योजनायें की वर्तमान स्थिति	
1. क्रियाशील की गयी 16 योजनाओं में से क्रियाशील योजनायें	10
2. निमार्णाधीन योजना	3
3. री–टेन्डर की गयी योजनायें	5
4. री–टेन्डर प्रस्तावित	2
5. भूमि अनुपलब्ध	3
6. विवादित	
(I) भूमि सम्बन्धी	3
(II) आपरेटर के साथ	6
कुल	32

प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की स्थिति		
1	वर्तमान में आच्छादित नगर निकायों की संख्या जे.एन.एन.यू.आर.एम. – 27, राज्य सेक्टर–3, एयर फील्ड टाउन–2	32 (रू0 515.52 करोड़)
2	अधिष्ठापित प्लांटों की कुल संख्या ● वर्तमान में क्रियाशील ● वर्तमान में अक्रियाशील	16 10 6
3	स्वच्छ भारत मिशन एक्शन प्लान, 2015 के अनुसार प्रस्तावित नगर निकायों की संख्या	622 (रू0 3180 करोड़)
4	नगर निकायों को क्लस्टर आधार पर आच्छारित करने हेतु प्रस्तावित क्लस्टर की संख्या	33
5	भूमि चयन करने का लक्ष्य	30.06.2017
6	61 नगरों में स्त्रोत पर पृथक्कीकरण कार्य प्रारम्भ तिथि	05.06.2017

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजनाओं के प्लान्ट की स्थिति			
1	निर्माणाधीन प्लान्टों की संख्या	3	1. पिलखुआ 2. जौनपुर 3. रामपुर
2	प्लान्टों की सं0 जहाँ री–टेन्डर कर अनुबन्ध किया जा चुका है	5	1. बरेली, 2. मुरादाबाद 3. आगरा 4. कानपुर 5. मेरठ
3	प्लान्टों की सं0 जहाँ री–टेन्डर प्रस्तावित है।	2	1. गोरखपुर 2. झाँसी
4	प्लान्टों की सं0 जहाँ ऑपरेटर से विवाद है।	6	1. मथुरा 2. फतेहपुर 3. सम्भल 4. बदायूं 5. मिर्जापुर 6. बलिया
5	प्लान्टों की सं0 जहाँ (क) भूमि अनुपलब्ध है (ख) भूमि विवाद है	3 3	1. फिरोजाबाद 2. बस्ती 3. नजीबाबाद 1. गाजियाबाद 2. भदोही 3. लोनी

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजनाओं के क्रियाशील प्लांट				
क्र. सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता (टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	लखनऊ	1300	52.83	52.83
2	वाराणसी	600	48.68	40.16
3	इलाहाबाद	600	30.41	30.41
4	अलीगढ़	220	16.07	16.07
5	इटावा	75	5.82	5.82
6	बाराबंकी	30	5.37	5.37
7	कन्नौज	25	4.62	4.62
8	मैनपुरी	30	4.28	4.28
9	मुजफ्फरनगर	120	6.58	6.58
10	रायबरेली	70	8.78	8.14

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजनाओं के अक्रियाशील प्लांट				
क्र. सं0	योजना का नाम	अधिष्ठापित प्लांट की क्षमता (टी.पी.डी.)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)
1	कानपुर	1500	56.24	56.24
2	आगरा	750	30.84	30.84
3	मुरादाबाद	280	13.16	13.16
4	फतेहपुर	55	9.38	9.38
5	मथुरा	180	9.91	9.91
6	बरेली	300	13.86	13.86

8

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के दिशा–निर्देश पर राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभागीय आदेश संख्या 116/प्रा–1/HRD Cell/9, दिनांक 13/05/96 के क्रम में शासनादेश संख्या 1575/38–5–99–657/97, दिनांक अप्रैल 26, 1999 द्वारा गठित मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता आदि के क्षेत्र में चल रहे समस्त मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के समन्वयक/नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु एक अधिकृत प्रकोष्ठ है, जिसमें कार्यरत प्रायः सभी अधिकारी/कर्मचारी विस्तृत अनुभव प्राप्त पर्यावरण अभियन्ता एवं सामुदायिक सहभागिता विशेषज्ञ है। प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 1996 से वर्ष 2008 के मध्य राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 68 जनपदों में 60,000 से अधिक प्रदेश के ग्रामीण उद्यमियों को न केवल हैण्डपम्प मैकेनिक, राजगीर, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता प्रेरकों को प्रशिक्षित कर ग्रामीण पंचायतों का क्षमता विकास किया गया, अपितु प्रदेश के 35,000 से अधिक ग्रामों में जन–जागरूकता/आई0ई0सी0 कार्यक्रमों के साथ–साथ 275 विकास खण्डों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराकर 16,000 ग्रामों में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों (वी0डब्लू0एस0सी0) का गठन भी कराया गया। सेक्टर प्रोफेशनल एवं ग्राम्य स्तरीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त निम्न प्रशिक्षण कार्य कराये गये :–

1. नवनियुक्त 28 सहायक अभियन्ताओं का इन्डक्शन कोर्स (90 दिवसीय)
2. नवनियुक्त लेखाकारों का इण्डक्शन कोर्स (90 दिवसीय)
3. सामान्य एवं एडवान्स कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
4. विद्युत यॉत्रिक जूनियर इंजीनियरों का तकनीकी प्रशिक्षण।
5. ''नदी जल अभिकरण'' गठन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन।
6. यूनीसेफ सहायतित फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं सी0डी0डी0 वाटसन कार्यक्रमों का आयोजन।
7. दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन तथा फोर्सलिफ्ट हैण्डपम्पों के रख–रखाव पर प्रशिक्षण।

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के मध्य टी0एन0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. टी0एन0ए कार्यक्रम (राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन) के अन्तर्गत विभिन्न विधाओं में 92 बैच प्रशिक्षण कार्य कराकर उत्तर प्रदेश जल निगम के जूनियर इंजीनियर्स, सहायक अभियन्ताओं, तकनीकी उच्चाधिकारियों एवं अतकनीकी स्टॉफ को प्रशिक्षित किया गया।
2. मोती लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.एन.एन.आई.टी.), इलाहाबाद में ''सेक्टर प्रोफेशनल मद'' में निम्नलिखित विधाओं में जल निगम के जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ताओं/अधिशासी अभियन्ताओं के प्रशिक्षण कराये गये :
   क. हाइड्रोलिक एण्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ वाटर टैंक एण्ड वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स फॉर वाटर सप्लाई मैनेजमेन्ट।
   ख. कन्स्ट्रक्शन मैनेजमेन्ट इन वाटर सप्लाई सेक्टर।
   ग. सस्टेनेबिल वेस्ट वाटर एण्ड सेनीटेशन मैनेजमेन्ट फॉर रूरल एरियाज़ : स्टेटडीज, इश्यूज एण्ड चैलेन्जेस।
3. सेक्टर प्रोफेशनल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015 में नवनियुक्त 38 सहायक अभियन्ताओं का तकनीकी प्रशिक्षण कार्य कराया गया।

वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित कार्य :–

एच0आर0डी0 सेल द्वारा वर्ष 2017–18 में निम्न कार्य योजनाएं विरचित कर अनुमोदनाथ प्रेषित की गई है :–

1. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत उ0 प्र0 जल निगम में वर्ष 2017 में नवनियुक्त जूनियर इंजीनियर्स/सहायक अभियन्ताओं के प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना, अनुमानित लागत धनराशि रू0 44.64 लाख।
2. कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग में ई–टेन्डर व्यवस्था लागू करने हेतु अधिकारियों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के एक दिवसीय ''ई–टेन्डरिंग'' विषय पर प्रशिक्षण कार्य, अनुमानित लागत रू0 2.36 लाख।